

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005— माघ 4, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 639/21-अ/प्रारूपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2004)

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

अध्याय -1 प्रारम्भिक

खण्ड :

- 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ परिभाषाएं

अध्याय -2 विश्वविद्यालय

- 3 विश्वविद्यालय का निगमन
- 4 उद्देश्य
- 5 विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
- 6 अधिकारिता
- 7 विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध
- 8 विश्वविद्यालय में अध्यापन
- 9 विश्वविद्यालय में निरीक्षण

अध्याय -3 विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 10 विश्वविद्यालय के अधिकारी
- 11 कुलाधिपति और उसकी शक्तियां
- 12 कुलपति की नियुक्ति
- 13 कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति

- 14 कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य
- 15 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुलपति के अधिकार एवं कर्तव्य
- 16 कुलाधिसचिव
- 17 राज्य विश्वविद्यालय सेवा के माध्यम से भर्ती
- 18 कुलसचिव
- 19 नवप्रवर्तन, क्रियाशीलता एवं उद्यमिता एवं छात्रकल्याण का संकायाध्यक्ष
- 20 अन्य कर्मचारी

#### अध्याय -4 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- 21 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
- 22 कार्य परिषद्
- 23 कार्य परिषद् की शक्तियां, कर्तव्य
- 24 वित्त समिति
- 25 विद्या परिषद्
- 26 विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य
- 27 संकाय
- 28 अध्ययन बोर्ड
- 29 अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उनके कृत्य
- 30 शिक्षण योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड
- 31 गठित किये जाने वाले बोर्ड

#### अध्याय -5 वित्त लेखा एवं अंकेक्षण

- 32 विश्वविद्यालय निधि

- 33 उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जा सके
- 34 वार्षिक प्रतिवेदन
- 35 लेखाओं की संपरीक्षा

#### अध्याय -6 परिनियम, अध्यादेश और विनियम

- 36 परिनियम
- 37 परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे
- 38 अध्यादेश
- 39 अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे
- 40 अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया
- 41 विनियम

#### अध्याय -7 प्रवेश एवं पंजीयन

- 42 विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश
- 43 रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्रधारक

#### अध्याय -8 संस्थानों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

- 44 महाविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक का निरीक्षण
- 45 परीक्षकों तथा अनुसूचकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति

#### अध्याय -9

#### शिक्षकीय पदों में नियुक्तियां एवं सेवाशर्तें

- 46 अध्यापन पदों की नियुक्ति
- 47 अध्यापकों को विश्वविद्यालयों द्वारा देय वेतन
- 48 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

- 49 सेवा शर्तें  
 50 पेंशन एवं भविष्यनिधि  
 51 शिक्षा देने के लिए अनुमोदन  
 52 अध्यापकों का वर्गीकरण

अध्याय -10 आपात-उपबंध

- 53 राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी  
 54 कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति  
 55 परिणाम जो धारा-54 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

अध्याय-11 अनुपूरक-उपबंध

- 56 विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद  
 57 समितियों का गठन  
 58 विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधि मान्य नहीं होगा  
 59 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण  
 60 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि  
 61 विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र  
 62 प्राधिकारी का सदस्य होने के निरर्हता  
 63 स्नातकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति  
 64 कठिनाईयों का निराकरण

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2004)

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों में, जिनके अंतर्गत वास्तुकला (आर्किटेक्चर) और औषधनिर्माण विज्ञान (फार्मैसी) आते हैं, शोध, स्नातकोत्तर, स्नातक, और उपाधिपत्र स्तर पर व्यवस्थित दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एक तकनीकी विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने और उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

## अध्याय-1 प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 है ; संक्षिप्त  
नाम विस्तार  
और प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में रहेगा ;
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ;
2. अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं
  - (एक) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ;
  - (दो) "सम्बद्ध महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हैं ;
  - (तीन) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;
  - (चार) "स्वशासी" महाविद्यालय या "पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी के रूप में घोषित किया गया है ;
  - (पाँच) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड ;
  - (छः) "केन्द्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का वह परिसर जो नवोदित तकनीकी से संबद्ध विशिष्ट कार्यों के सम्पादन को प्रोत्साहन दे ;
  - (सात) "महाविद्यालय" या "पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इनके अधीन संधारित किया जाता है या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हैं ;
  - (आठ) "विभाग" से अभिप्रेत है अध्यापन विभाग और उसके अंतर्गत आता है अध्ययन शाला (स्कूल आफ स्टडीज) ;

- (नौ) “कार्मिक/कर्मचारी” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का अध्यापक तथा कर्मचारीवृन्द है ;
- (दस) “कार्य परिषद्” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ;
- (ग्यारह) “संकाय” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का संकाय ;
- (बारह) “महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक का विभागाध्यक्ष” से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक का कोई विभागाध्यक्ष;
- (तेरह) “विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये गये किसी अध्यापन विभाग का अध्यक्ष और किसी ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान (इंस्टीट्यूट) का, निर्देशक अथवा प्राचार्य जो शोध कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है;
- (चौदह) “कुलाधिपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;
- (पन्द्रह) “कुलपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;
- (सोलह) “प्रबंधन” से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रबंधन,
- (सत्रह) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है अन्य पिछड़ा वर्ग जिसकी घोषणा राज्य शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा समय समय पर की जावे;
- (अठारह) “विश्वविद्यालय से संशक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी पॉलीटेक्निक का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक प्रबंधक वर्ग (मेनेजमेंट) का कोई सदस्य ;
- (उन्नीस) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक का प्रधान और जहाँ कोई प्राचार्य नहीं है तो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के तत्समय सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है ;
- (बीस) “रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधिपत्रधारक” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया या रजिस्ट्रीकृत समझा गया स्नातक या उपाधिपत्रधारक ;
- (इक्कीस) “अनुसूचित जातियों” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियां;
- (चाईस) “अनुसूचित जनजातियों” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियां ;

- (तेईस) "प्राध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था ;
- (चौबीस) "परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम ;
- (पच्चीस) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक या ऐसी संस्था में जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है, शिक्षण देने के लिये या शोध कार्य का संचालन करने के लिये नियुक्त किये गये है ;
- (छब्बीस) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, औषधनिर्माण, वास्तुकला, तथा वे विषय जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा समय समय पर घोषित किए जावेंगे ;
- (सत्ताईस) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ;
- (अट्ठाईस) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 3) के अधीन स्थापित किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (उन्तीस) "विधान सभा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ की विधान सभा ।

### अध्याय 2. विश्वविद्यालय

- 3 (1) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और प्रथम कार्यपरिषद व विद्यापरिषद के सदस्य विश्वविद्यालय का गठन करेंगे तथा इस प्रकार गठित किया गया विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा ।
- (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से इाद चलाएगा, तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा ।
- (3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनो प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जो कि उसमें निहित हो गई, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई है, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं, करने के लिए सक्षम होगा ।
- (4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भिलाई में होगा ।

विश्वविद्यालय  
का निगमन

4. विश्वविद्यालय के अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-
- (क) तकनीकी जनशक्ति की बदलती आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर सक्षम तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा को एक सक्षम प्रणाली प्रदान करना ;
- (ख) अध्यापन तथा सीखने के प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना ;

उद्देश्य

- (ग) सतत् शिक्षा और परामर्श तथा शोध और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिये अनुकूल वातावरण हेतु व्यवस्था करना ;
- (घ) पारस्परिक फायदों के लिये और उद्योग जगत से सशक्त संबंध विकसित करना एवं अन्य नवउद्योगों एवं व्यावसायिक संस्थानों में आंतरिक स्रोतों की अभिवृद्धि हेतु परामर्श एवं परीक्षण सेवाएँ प्रदान करना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षणार्थ अभिप्रेरण प्रदान करना ;
- (ङ) औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के लिये परामर्श एवं परीक्षण सेवाएँ प्रदान कर आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि करना एवं बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करने हेतु संस्थाओं को अभिप्रेरित करना ;
- (च) विद्यार्थियों में तब उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करना ।
- (छ) पूर्व छात्रों के साथ जीवन्त सम्पर्क बनाये रखना और पूर्व छात्रों द्वारा प्रायोजित किये गये कार्यक्रमों को विकसित करना ।
- (ज) तकनीकी में नवप्रवर्तन हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना ।
- (झ) उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक तकनीकी संस्थाओं से जीवन्त सम्पर्क स्थापित कर विद्यार्थियों को आधुनिक विधाओं से अवगत कराना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ: 5.

- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी:-
- (1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और शोध कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रचार के लिये व्यवस्था करना ;
  - (2) अध्यापन तथा शोध के लिये, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य साज-सज्जा का व्यवस्था करना ;
  - (3) महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिकों, अध्यापन-विभागों, अध्ययन-शालाओं, अध्ययन-केन्द्रों, छात्रावासों तथा अतिथि-गृहों को स्थापित करना, संचारित करना तथा उनका प्रबंध करना ;
  - (4) (क) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित लेक्चरर, रीडर एवं प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या अध्यापन पद संस्थित करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;  
(ख) ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना ;
  - (5) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में शोध के संबंध में मार्गदर्शन करे ;
  - (6) विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण-क्रम अधिकथित करना ;
  - (7) उपाधियाँ, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें संस्थित करना ;
  - (8) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी की विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या जाँच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियाँ तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना ;

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि पत्र तक पहुंचने वाली परीक्षा में किसी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसे परीक्षा के लिये ऐसा विषय लिया है, जिसके लिये प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया है, ऐसा कार्य विश्वविद्यालय की किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक में पूरा नहीं कर लिया है तथा जब तक की वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक के प्राचार्य का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर देता है ।

- (9) उन व्यक्तियों को जिन्होंने अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन शोध कार्य किया है, उपाधि तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना ;

- (10) उपाधियों, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना ;
- (11) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियम में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियाँ या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना ;
- (12) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित नहीं हैं, ऐसे व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधिपत्र तथा प्रमाणपत्र प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे ;
- (13) ऐसी रीति में तथा शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई है, उन महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं है, अपने विशेषाधिकार देना, ऐसे समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना और महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का प्रबंध ग्रहण करना ;
- (14) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों को स्वशासी के रूप में घोषित करना ;

परन्तु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे पॉलीटेक्निक को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं ;

- (15) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों में अध्यापन तथा शोध कार्य का संचालन करना, समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना ;
- (16) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति में ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं है, मान्यता देना तथा किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना ;
- (17) महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों या संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाए रखा जा सकता है ;
- (18) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक हित को विशेष रूप से ध्यान देते हुए संप्रवर्तित करना ;
- (19) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेस) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्सेस) की सुविधा उपलब्ध कराना ;
- (20) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालय तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना ;
- (21) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना :-
  - (क) वहिर्वती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा ;
  - (ख) पत्राचार पाठ्यक्रम ;
  - (ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप ;
  - (घ) समाज सेवा स्कीम ;
  - (ङ.) राष्ट्रीय कैडेट कोर ;
- (22) संघ या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की तथा ऐसे अन्य प्रशिक्षण की जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हो, व्यवस्था करना ;
- (23) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना -
  - (क) सूचना ब्यूरो ;
  - (ख) रोजगार ब्यूरो और
  - (ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग ;

- (24) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना ;
- (25) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की जो कि अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाये मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना ;
- (26) ऐसी फीस तथा ऐसे प्रभार जो महाविद्यालय द्वारा प्राप्त किये जा सकें या वसूल किये जा सकें विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना ;
- (27) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना ;
- (28) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना ;
- (29) न्यासों तथा विन्यासों (एंडाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना अध्येतावृत्तियाँ (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ (एक्जीविशनशिप), बजीफा (बर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना ;
- (30) संदान तथा अनुदान प्रदान करना और निधियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिहित करना ;
- (31) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर, प्रतिभूति पर धन उधार लेना ;
- (32) विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदंड, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना ;
- (33) महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में ऐसे विशेष इंतजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;
- (34) कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये इंतजाम करना ;
- (35) समस्त ऐसे कार्यों तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुबन्धिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये अपेक्षित हैं करना ।

अधिकारिता 6.

- (1) विश्वविद्यालय के अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। भविष्य में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर भी किया जा सकेगा, बशर्ते सम्बन्धित राज्यशासनों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो ;
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक या संस्था के संबंध में जो तकनीकी शिक्षा दे रहा है उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं

और वह परिनियम या विनियम द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रहेगा;

- (3) ऐसे महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, किए जा रहे शोध और विकास संबंधी कार्यों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में ऐसे तारीख या तारीखों से समन्वित और एकीकृत किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं द्वारा पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं ।

7. विश्वविद्यालय के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा की वह किसी व्यक्ति को हकदारी प्रदान करने की दिशा में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा अन्य किसी मत के आधार पर :-
- (एक) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने, या
- (दो) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने, या
- (तीन) अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या सम्मिलित किए जाने, या
- (चार) किसी उपाधि, उपाधिपत्र या विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टता या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने या किसी उपाधि, उपाधिपत्र या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता के लिये अर्हित होने, या
- (पांच) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसकी उपकृति का उपयोग या प्रयोग करने, या
- (छः) विन्यास का सृजन करने के लिए विधियों का संदान करने का हकदार बनाने के लिए कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे ।

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्वधीन रहते हुए या तो शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था को अनन्य रूपेण महिलाओं के लिए चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या नियंत्रित किये जा रहे किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था में, विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देना के प्रयोजनों हेतु महिलाओं के लिये या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये स्थान आरक्षित कर सकेगा ।

8. विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसा कि यथा-स्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

9. (1) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साज-सज्जा का और ऐसे किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय पॉलीटेकनिक या संस्थाओं में प्रवेश, उनके प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले के बारे में जांच करवा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निवेदन किये जाने पर उपरोक्त रीति में यथा स्थिति निरीक्षण या जांच करवायेगा ।

विश्वविद्यालय में निरीक्षण

- (2) कुलाधिपति, ऐसे मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना-
- (एक) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के संबंध में की जानी है;
- (दो) महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के संबंध में, जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हैं, की जानी है और यथा-स्थिति विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग इस

वात के लिये हकदार होगा कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करें जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जाँच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए।

- (3) ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम को रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से, यथास्थिति विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् या महाविद्यालय प्रबंधक वर्ग को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देगा।

परंतु जहाँ निरीक्षण या जाँच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किये जाने पर करवाई गई है, वहाँ कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करेगा।

- (4) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसी निरीक्षण या जाँच के परिणामस्वरूप की है या जिसका करना वह प्रस्तावित करे, सूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निर्देश दे, भेजी जाएगी।
- (5) जहाँ कार्य परिषद् या प्रबंधक, ऐसे समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाई न करे, वहाँ कुलाधिपति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए किसी स्पष्टीकरण या किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे, और यथास्थिति कार्य परिषद् या प्रबंधक द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

### अध्याय-3 विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय  
के अधिकारी 10.

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (एक) कुलाधिपति;  
(दो) कुलपति;  
(तीन) कुलाधिसचिव;  
(चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;  
(पांच) कुल सचिव;  
(छः) नवप्रवर्तन, क्रिया-शीलता एवं उद्यमिता एवं छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;  
(सात) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति 11.  
और उसकी  
शक्तियाँ

- (1) छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।  
(2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा तथा यदि किसी बैठक में उपस्थित हो तो उस बैठक का अध्यक्ष होगा एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।  
(3) कुलाधिपति :-  
(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा, और  
(ख) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा-55 का उल्लेख सुनिश्चित किया जावे के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकेगा।

- (4) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विलोपित कर सकेगा :-
- (क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की, जिसका यह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया गया है, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों, जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियम के अनुरूप नहीं हैं; या
- (ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा धारा-14 की उपधारा (7) के अधीन उसे निर्देशित की गई है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाहियाँ विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं;

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा।

- (5) जहां कुलाधिपति उपधारा (4) के अधीन कार्यवाहियों को विलोपित करते हुए आदेश पारित करता है तो वह उसके संबंध में इस अधिनियम, या विनियम के अनुरूप ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा।
- (6) मानद उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन होगी।
- (7) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं।

12.

- (1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित किए गए प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा "प्रसाद के सिद्धांत के तहत" राज्य शासन के परामर्श के पश्चात् की जावेगी। परन्तु यदि खोज समिति द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हो तो कुलाधिपति ऐसी खोज समिति से नई अनुशंसा मंगा सकेगा।

कुलपति की  
नियुक्ति

- परन्तु यह और भी कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2.) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-
- (एक) कार्यपरिषद द्वारा अनुशंसित किया गया एक व्यक्ति,
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,
- (तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति,
- कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन समाप्त गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवनत होने के छः मास पूर्व कार्य परिषद् तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगा।
- (4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशक्त है, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा।
- (5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी।
- (6) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (2) द्वारा गठित की गई है, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो

विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशुद्ध नहीं हैं, एवं उन्हें नियुक्त करेगा जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा, इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी तदुत्तर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, राज्य शासन के परामर्श पर कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

कुलपति की उपलब्धियां 13.  
या सेवा की शर्तें कुलपति  
। पदावधि तथा उसके पद में  
रिक्त

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होवे, जो भी पहले हो, परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।
- (2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छः मास से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने :-

- (क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है, या
- (ख) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है, या
- (ग) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद त्याग दे।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा यदि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई है तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

(5) उपधारा (3) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

(6) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने के दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा-12 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण कर ले ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छः माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा।

कुलपति की 14. (1)  
संकाय तथा  
व्यक्तियों

कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा। वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष, तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समिति तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी बैठक में

उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो ।

- (2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
- (3) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, बैठक बुलाने की शक्ति होगी. वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा ।
- (4) यदि कुलपति के राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता :

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन माह से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा।

परन्तु यह और भी कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- परन्तु यह भी इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों, में संशोधन या नियुक्ति से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा.
- (5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- (6) उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जायेगी जब तक की वह उपधारा (5) के अधीन दिये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपील किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है।
- (7) यदि कुलपति के राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्देशित करेगा और तदनुसार उसकी इत्तला संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जो तब तक प्रभावशील नहीं किया जायेगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा धारा-11 की उपधारा (4) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है।
- (8) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकालापो पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।
- (9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

15.

राज्य शासन एक तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, नवस्थापित विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु कुलपति के पद पर दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिये करेगा तथा विश्वविद्यालय के इस प्रकार नियुक्त कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से समान्यतः छः मास की कालावधि के भीतर कार्यपरिषद्, विद्या-परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करे और उक्त प्राधिकारियों

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुलपति के अधिकार एवं कर्तव्य

का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्या-परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधि तथा प्रशासन विशेषज्ञ होगा, कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी।

कुलाधिसचिव 16.

- (1) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कुलपति के परामर्श पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी।  
यदि कार्य परिषद् कुलपति का परामर्श स्वीकार नहीं करती है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। प्रथम कुलाधिसचिव की नियुक्ति राज्य शासन के परामर्श पर कुलपति द्वारा होगी।
- (2) कुलाधिसचिव विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा।
- (3) इस अधिनियम की उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा के शर्तें तथा उपलब्धियों ऐसी होंगी जैसा कि परिनियम द्वारा विहित किया जाये तथा विहित किये जाने तक वे ऐसी होंगी जैसा कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किया जाए।
- (4) कुलाधिसचिव, कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से समुनुदेशित किए जाएं तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

राज्य विश्वविद्यालय 17.

सेवा के माध्यम से  
गर्भी

कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों के ऐसे संवर्गों के पद, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के अधीन गठित की गई राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों से भरे जायेंगे। ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता के मामले में ऐसे पद, कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करके, भरे जायेंगे।

कुल सचिव 18.

- (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए करेगा। वह सभा के, कार्य परिषद् के, विद्या परिषद् के अन्य विद्या संवर्धों योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (2) कुलसचिव की नियुक्ति धारा-17 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।  
परन्तु विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् की जाएगी तथा वह दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेगा, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करे।
- (3) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् के शक्तियों के अध्याधीन रहते हुए, कुल सचिव, यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय किये जाते हैं जिसके लिये लिए वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं।
- (4) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किये गये के सिवाय, समस्त संविदाएँ विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की

- जाएंगी और समस्त दस्तावेजों तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे।
- (5) कुल सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।
19. (1) नवप्रवर्तन क्रियाशीलता एवं उद्यमिता एवं छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा ;
- नवप्रवर्तन क्रियाशीलता एवं उद्यमिता एवं छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष
- (2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्याक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ;  
परन्तु कार्य परिषद् यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, कुलपति की सिफारिश पर, उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये तीन वर्ष की कालावधि हेतु नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे दिये जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी।
- (3) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें और उसके कर्तव्यों और शक्तियों परिनियम द्वारा विहित की जाएंगी ।
20. विश्वविद्यालय को अन्य कर्मचारियों की, जो धारा-17 के अंतर्गत नहीं आते हैं, नियुक्ति ऐसी रीति में की जायेगी और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो कि परिनियम अध्यादेश और विनियम द्वारा विहित की जाएं ।
- अन्य कर्मचारी

#### अध्याय-4 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-
- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
- (एक) कार्य परिषद् ;  
(दो) वित्त समिति ;  
(तीन) विद्या परिषद् ;  
(चार) संकाय ;  
(पांच) अध्ययन बोर्ड ;  
(छः) अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड ;  
(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं ।
22. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
- कार्यपरिषद्
- (एक) कुलपति; अध्यक्ष  
(दो) तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भार साधक सचिव; सदस्य  
(तीन) वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव; सदस्य  
(चार) उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव; सदस्य  
(पांच) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति; सदस्य  
(छः) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किसी आई.आई.टी. का डायरेक्टर; सदस्य  
(सात) भारतीय आद्यौगिक संघ, पूर्वी क्षेत्र का अध्यक्ष; सदस्य

- |          |  |              |
|----------|--|--------------|
| (आठ)     | सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के दो प्राचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;                               | सदस्य        |
| (नौ)     | समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;   | सदस्य        |
| (दस)     | विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों / सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं से दो आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे; | सदस्य        |
| (ग्यारह) | सम्बद्ध पॉलीटेकनिकों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे  | सदस्य        |
| (बारह)   | संचालक, तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़;   | सदस्य        |
| (तेरह)   | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति, भोपाल का अध्यक्ष;   | सदस्य        |
| (चौदह)   | तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;   | सदस्य        |
| (पंद्रह) | विधान सभा के तीन सदस्य जो विधान सभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जावेगा;   | सदस्य        |
| (सोलह)   | तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का एक शिक्षाविद् जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;   | सदस्य        |
| (सत्रह)  | कुल सचिव;  | सदस्य - सचिव |
- (2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।
- (3) कार्य परिषद् के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यो से गणपूर्ति होगी,

परन्तु स्थगित बैठक जो एक घंटे पश्चात् पुनः आहूत किया जावेगा, के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्यपरिषद् 23.  
की शक्तियां  
वर्तमान

इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, कार्य परिषद् सर्वोच्च प्राधिकारी होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :-

- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;
- (दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;
- (तीन) वार्षिक लेखे और उनके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को अंगीकृत करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन का अनुमोदन करना और उन्हें पारित करना;
- (पांच) वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी, उत्पादी कार्यों की दशा में ऐसे संसाधनों के अन्तर्गत उधारों के आगम आएंगे;
- (छः) खण्ड (पांच) के अध्वधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय-
  - (क) बजट अनुदान की रकम कम करना;
  - (ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम को, एक लघुशीर्ष से किसी अन्य लघु शीर्ष के या किसी एक लघु शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अध्वनस्थ शीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अध्वनस्थ शीर्ष को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना; या

(ग) किसी लघुशीर्ष के भीतर की पचास हजार रुपये से अनधिक किसी रकम को, एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्राथमिक इकाई से दूसरी प्राथमिक इकाई को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना तथा उधार देना;

परन्तु निधियां विश्वविद्यालय सम्पत्ति की प्रतिभूति पर छत्तीसगढ़ शासन, के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जाएंगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित करना;

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अन्तरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना ;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसका उपयोग को विनियमित करना ;

(ग्यारह) समस्त महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की वित्तीय अपेक्षाओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य शासन, के समक्ष रखना ;

(बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार देना और इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियम तथा अध्यादेश में विहित की गई हैं महाविद्यालय का प्रबंध ग्रहण करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक को स्वशासी संस्था के रूप में घोषित करना ;

परन्तु स्वायत्तता जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकेंगे, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय जिनके की संबंध में व ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे की परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विक्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहित करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;

(सत्रह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :-

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन ब्यूरो;

(ख) सूचना तथा रोजगार ब्यूरो;

- (ग) एल्युमिनी ब्यूरो;  
(घ) उद्यमिता ब्यूरो;

- (अठारह) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना:-  
(एक) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा शोध;  
(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप ;  
(तीन) पत्राचार पाठ्यक्रम;  
(चारा) विद्यार्थी कल्याण;  
(पांच) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप ;  
(छः) समाज सेवा स्कीमों; और  
(सात) राष्ट्रीय कैडेट कोर;
- (उन्नीस) विद्या परिषद् के समस्त प्रस्तावों की, बजट की ढाँचे के भीतर उनके निष्पादन की संवीक्षा करना;
- (बीस) ऐसे प्रोफेसर पदों, रीडर पदों, लेक्चरर पदों अन्य अध्यापन पदों को, जिनका की प्रस्ताव योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाए, संस्थित करना; परन्तु कोई भी पद छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा;
- (इक्कीस) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;
- (बाइस) विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या अन्य शैक्षणिक पद को, उनके संबंध में योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अनुशंसा पर समाप्त करना या निलंबित करना;
- (तेईस) महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिक अध्यापन विभागों, शोध या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों की स्थापना करना, उन्हें संचारित करना तथा उनका प्रबंध करना;
- (चौबीस) छात्रावासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास स्थान की व्यवस्था करना;
- (पच्चीस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाए रखना तथा उनके कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में, संबद्ध करने या मान्यता देने की शर्तों में, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, उपन्तरण करना या ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें की वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे ।
- (छब्बीस) एक महाविद्यालय संहिता तैयार करना जिसमें महाविद्यालय तथा पॉलीटेकनिक के सम्बद्ध किये जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित की जाएगी;
- (सत्ताईस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं, या पॉलीटेकनिक या छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा जानकारी मंगवाना,
- (अट्ठाईस) संस्थान, एवम् छात्रावासों के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;
- (उन्तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में मानद उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

- (तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना;
- (इक्तीस) अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;
- (बत्तीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपति से भिन्न हों, अध्यापकों, विशेषज्ञों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना। उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें परिनिश्चित करना और अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;
- (तैंतीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना ;
- (चौतीस) किसी संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था के शिक्षकों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देना और ऐसे मान्यता का प्रत्याहरण करना ;
- (पैतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय के परीक्षाओं तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना ;
- (छत्तीस) अनाचार (मालप्रैक्टिस) की दशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करना जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का निष्कासन (रस्टीकेशन) आता है;
- (सैंतीस) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए विद्यार्थियों, जिनके अंतर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;
- (अड़तीस) कर्मचारीवृन्द तथा वीक्षकों (इन्वेजीलेटर्स), एवं परीक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किए गए उन व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना जो अनुशासनहीन हों;
- (उन्वालीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनके मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;
- (चालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना ;
- (इक्तालीस) विद्या परिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहित करना, अस्वीकार करना, या विद्या परिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किन्तु उनमें संशोधन न करना;
- (बयालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा-निवेदनों (ग्रीवांस) को ग्रहण करना, उन्हें व्यापनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाए तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;
- (तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाएं;
- (चवालीस) विश्वविद्यालय के समस्त ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं तथा समस्त ऐसे अन्य शक्तियों का जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हैं, प्रयोग करना;
- (पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जैसा की वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना;

- वित्त समिति 24. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-
- |        |  |            |
|--------|--|------------|
| (एक)   | कुलपति; -  | अध्यक्ष    |
| (दो)   | कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति जो वित्त विशेषज्ञ हों | सदस्य      |
| (तीन)  | विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;                          | सदस्य      |
| (चार)  | तकनीकी शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव                      | सदस्य      |
| (पांच) | वित्त विभाग का भारसाधक सचिव                              | सदस्य      |
| (छः)   | विश्वविद्यालय का कुलसचिव;                                | सदस्य सचिव |
- (2) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी;
- (3) इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और विनियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, वित्त समिति, निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी:-
- (क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;
- (ख) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना और उसको कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना और समय समय पर उसमें संशोधन करने का सुझाव देना;
- (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक संपरीक्षा को समय-समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निवेश देना;
- (4) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से कुलपति और उपधारा (1) के खण्ड (चार) या (पांच) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

- विद्या परिषद् 25. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- |        |  |             |
|--------|--|-------------|
| (एक)   | कुलपति;  | अध्यक्ष     |
| (दो)   | कुलाधिसचिव;  | सदस्य       |
| (तीन)  | संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़;  | सदस्य       |
| (चार)  | अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल;   | सदस्य       |
| (पांच) | संकायों के संकायाध्यक्ष;   | सदस्य       |
| (छः)   | अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;   | सदस्य       |
| (सात)  | विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;   | सदस्य       |
| (आठ)   | चार प्राचार्य, जिनमें से दो सम्बद्ध महाविद्यालय से, और दो सम्बद्ध पॉलटेनिकों से होंगे जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे; | सदस्य       |
| (नौ)   | विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से दो प्रोफेसर जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी- बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे;                           | सदस्य       |
| (दस)   | विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों से दो रीडर, जिनमें में से एक महिला अध्यापक होगी और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे;     | सदस्य       |
|        | (ग्यारह) विश्वविद्यालय का कुलसचिव -  | सदस्य सचिव; |

- (2) विद्यापरिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- (3) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की जो कि परिषद् के समक्ष विचाराय आए विषय वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप

में सहयोजित करने की शक्ति होगी, इस प्रकार सहयोजित किए गए सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किए गए हैं, संपादन के बारे में परिषद के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे।

- (4) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किए गए सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
26. (1) विद्या परिषद् को इस अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश द्वारा उसमें निहित की गई समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे अर्थात् -

विद्या परिषद्  
की शक्तियाँ  
तथा कर्तव्य

- (एक) विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हो, सहकारी अध्यापन के संबंध में शोध के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी विषयक सुधारों के संबंध में निर्देश देना;
- (दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्य परिषद द्वारा किये गये निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उस पर समुचित कार्यवाही करना;
- (तीन) (क) अध्ययन बोर्ड को विभाग आवंटित करने के लिये प्रस्ताव करना;
- (ख) अधिसदस्यों (फेलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकाय के लिये नियत करना;
- (चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिये प्रस्ताव करना और उनके प्रदान किये जाने के लिये नियम बनाना;
- (पांच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना;

परन्तु किसी भी ऐसे आवेदन पर उस समय तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी संस्था को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो।

- (छ:) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिये अर्हताएं विहित करना तथा ऐसे मान्यता प्रदान करना;
- (सात) परीक्षाओं के संचालन के लिये इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने के लिये परीक्षाफल समितियों की या अन्य व्यक्तियों या दोनों की जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्ति करना और ऐसे परीक्षाफल प्रकाशित किये जाने के लिये कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;
- (आठ) किसी विषय प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में शोध के संबंध में मार्गदर्शन (गाइड) करें।
- (2) विद्या परिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या परिषद् के) सदस्य होंगे, उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियम द्वारा किया जायेगा।

27. (1) विश्वविद्यालय में परिनियम द्वारा विहित किये गये अनुसार एक या अधिक संकाय होंगे।
- (2) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष तथा ऐसे सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (3) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो कि उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं।

संकाय

- (4) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केंद्रों, एवं महाविद्यालयों के उन प्रोफेसरों में से जो संबंधित विषय के अध्यापक हैं, कुलपति की अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

परन्तु यदि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केंद्रों में ऐसा आचार्य नहीं है जो उक्त विषय का अध्यापन कार्य कर रहा है तो संकाय अध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालय के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषयों के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जाएगा;

- (5) संकाय अध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और वह संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिये तथा अध्यापन एवं गवेषणा के संचालन तथा उनके स्तर को बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

मध्ययन बोर्ड

28.

- (1) उपाधि पाठ्यक्रमों के लिये जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रत्येक विषय या विषयों के समूह हेतु एक अध्ययन बोर्ड होगा;
- (2) प्रत्येक बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए;

मध्ययन बोर्ड

29.

अध्ययन बोर्ड की ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए;

शिक्षक तथा  
उनके कृत्य

शिक्षण योजना

30.

- (1) अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक)	कुलपति -	अध्यक्ष (चेयरमेन);
(दो)	कुलाधिसचिव;	सदस्य
(तीन)	कुल सचिव;	सदस्य सचिव
(चार)	संकायों के संकायाध्यक्ष;	सदस्य
(पांच)	राज्य योजना मंडल का भार धारक या उसका नामनिर्दिष्ट, व्यक्ति जो उपसचिव पद से निम्न पद का न हो :	सदस्य
(छः)	दो महाविद्यालयीन प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये गए हों;	सदस्य
(सात)	तकनीकी शिक्षा ख्याति प्राप्त दो विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जावेगा;	सदस्य
(आठ)	विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;	सदस्य
(नौ)	उद्योग के दो प्रतिनिधि जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों;	सदस्य

- (2) बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

- (3) योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी.

- (4) अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात्:

(एक) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करना;

(दो) संकायों द्वारा प्रस्तावित की गई शोध संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद् को अग्रप्रेषित करना तथा अंतःसंकाय आधार पर परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अंतःसंकाय समन्वय स्थापित करना;

- (तीन) संकायों को विद्या संबंधी नये कार्यक्रमों का सुझाव देना और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का तथा पॉलीटेकनिक का समय-समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना;
- (चार) विभागों, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों के स्थापना के लिये प्रस्ताव करना;
- (पांच) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के कार्यक्रमण का समय-समय पर मूल्यांकन करना;
- (छः) योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना;
31. (1) विश्वविद्यालय में से ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं;
- (2) उपधारा (1) के अधीन गठित किये गये बोर्ड का गठन, अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

गठित किए जाने वाले बोर्ड

#### अध्याय-5 वित्त लेखा एवं अंकेक्षण

32. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी।
- (2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे।
- (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान ;
- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास, (एण्डाउमेण्टस) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय होगी।
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां।
- (3) विश्वविद्यालय निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी।

विश्वविद्यालय निधि

33. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा:-

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा

- (एक) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गये ऋणों में प्रतिसंदाय के लिये;
- (दो) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिये तथा निवास स्थान छात्रावासों के अनुरक्षण के लिये;
- (तीन) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;
- (चार) किन्हीं भी ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए;
- (पांच) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के प्रयोजन के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के लिये, किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों या ऐसी स्थापना के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपादान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (छः) कार्य-परिषद विद्या परिषद के सदस्यों और विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा या उसके अधीन बनाये

- परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के किसी भी उपबंध के अनुसार में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये ;
- (सांत) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये;
- (आठ) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिये;
- (नौ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किये गये किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए व्यय घोषित किए गए हो, संदाय के लिए।
- (2) कार्य-परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल व्यय के लिए नियत की गई सीमा से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।
- (3) उस व्यय से, जिसके कि संबंध में बजट में उपबंध किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

34. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जाएगी

तथा जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व कार्यपरिषद् में प्रस्तुत की जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उस पर कार्यपरिषद् द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। कार्यपरिषद् उस पर संकल्प पारित कर सकेगी तथा उसे कुलाधिपति को संसूचित करेगी, उसके पश्चात् विश्वविद्यालय उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा में पटल पर रखवायेगी।

लेखाओं की संपरीक्षा 35.

- (1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो 15 मास से अधिक न हो।
- (2) संपरीक्षक लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, तथा यथाशक्य शीघ्र उसे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

#### अध्याय-6 परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम, 36.

इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्न लिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-

- (एक) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए ;
- (दो) खण्ड (2) में निर्दिष्ट किये गये निकायों के अधिकारी या सदस्यों निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय है ;
- (तीन) कुलपति की उपलब्धियाँ और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य ;
- (चार) कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें और उपलब्धियों और उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें।

- (पांच) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों तथा कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें ;
- (छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध ;
- (सात) उपाधियों प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह का किया जाना ;
- (आठ) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (नौ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण ;
- (दस) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा महाविद्यालयों एवं पॉलीटेकनिक का स्थापन तथा उनकी समाप्ति ;
- (ग्यारह) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकें और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण ;
- (बारह) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्ता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग किया जा सकेगा ;
- (तेरह) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं ;
- (चौदह) विन्यासों(एण्डाउमेन्ट्स) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एकजीबिशनत्स) वजीफो (बर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;
- (पंद्रह) अधिकारियों की उपलब्धियों तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो ;
- (सोलह) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग ;
- (सत्रह) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखा जाना ;
- (अठारह) प्रकाशन ब्यूरो की स्थापना तथा गठन और
- (उन्नीस) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं ।

37. (1) धारा 36 में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्यसरकार द्वारा बनाएजाएंगे जायेंगे और उसकी प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी
- (2) कार्य परिषद् इस धारा में इसके पश्चात उपबंधित की गई रीति में, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेंगे और परिनियमों में संशोधन कर सकेंगी या उन्हें निरस्त कर सकेंगी ।
- (3) विद्या परिषद् कार्य परिषद् द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी नवीन परिनियम का या किन्हीं विद्यमान पारानियम में संशोधन का प्रारूप कार्य परिषद् को प्रस्तावित कर सकेंगी तथा ऐसा प्रारूप कार्य परिषद् अपनी अगली बैठक में ऐसे प्रारूप पर विचार करेगा,

परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे

परन्तु विद्या परिषद् के किन्हीं ऐसे परिनियम के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

- (4) कार्य परिषद् किसी ऐसे प्रारूप को, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुमोदित कर सकेंगी तथा परिनियम को पारित कर सकेंगी या उसे अस्वीकार कर सकेंगी या ऐसे प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि वह

- सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनः विचार करने के लिये विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी।
- (5) कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कार्य परिषद् को कर सकेगा और कार्य परिषद् उस प्रस्ताव को, या तो स्वीकार कर सकेगी या यदि वह विद्या परिषद् से कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित है, तो कार्य परिषद् उसे विचारार्थ विद्या परिषद् को निर्दिष्ट करेगी जो कार्य परिषद् को या तो यह रिपोर्ट दे सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब उसके बारे में यह समझा जायेगा की उसे कार्य परिषद् में अस्वीकार कर दिया है या कार्य परिषद् को ऐसे प्रारूप में, जैसा विद्या परिषद् अनुमोदित करे, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्रारूप की दशा में इस धारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वे विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को प्रस्तावित किये गये प्रारूप दशा में लागू होते हैं।
- (6) किसी नवीन परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिये कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसे मंजूर कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा या उसे आगे विचार किये जाने के लिये वापस भेज सकेगा।

अध्यादेश

38.

इस अधिनियम तथा परिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे :-

- (एक) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोग शालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;
- (दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ- उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और उनके लिये अर्हताएं;
- (तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों तक पहुंचाने वाली परीक्षा;
- (चार) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के हेतु प्रभारित किये जाने वाली और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिये प्रवेश देने के हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (पांच) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शर्तों का अधिकारित किया जाना;
- (छः) परीक्षाओं का संचालन;
- (सात) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एकजीविशन्स) पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (आठ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना;
- (नौ) छात्रावास एवं अध्यापन विभागों के लिए स्थान-सुविधा;
- (दस) छात्रावासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;
- (ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हो और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;
- (बारह) नैतिकता संबंधी शिक्षण का दिया जाना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निक तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

- (चौदह) महिलाओं तथा पॉलीटेकनिक अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
- (पंद्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन देय हो कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनका वेतनमान आता है;
- (सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से किये जाने वाले बोर्ड एवं समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;
- (सत्रह) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किये जाने वाले तथा प्रवृत्त किये जाने वाले नियम;
- (अठारह) सम्बद्ध महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गये संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
- (बीस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिये और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;
- (इक्कीस) विद्यार्थी निकाय का गठन तथा उसके निर्वाचन की रीति, और
- (बाईस) ऐसे समस्त अन्य विषय भी जो इस अधिनियम या परिनियम के अनुसार अध्यादेश द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या उपबंधित किये जाएं ।

39. (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे ।  
 (2) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किए गए तारीख से प्रवृत्त होगा ।
40. (1) धारा 39 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अध्यादेश कार्य-परिषद् द्वारा नहीं बनाया जायेगा -  
 (एक) जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधि या पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों (डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज) में प्रवेश के लिये धारा 42 की उपधारा (1) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो, या  
 (दो) जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या उनके स्तर पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि वह संबंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो और ऐसे अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो, या ।  
 (तीन) जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें की विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो, तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे

अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया

- (2) कार्य परिषद् को यह शक्तियां नहीं होंगी कि वह ऐसे प्रारूप को, जिसका कि प्रस्ताव उपधारा (1) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा किया गया हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी प्रारूप के वापिस किये जाने के पश्चात् तथा कार्य परिषद् द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन पर विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुकने के पश्चात् वह प्रारूप विद्या परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ कार्य परिषद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा और तब कार्य परिषद् ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, उस प्रारूप के संबंध में कार्यवाही कर सकेगी।
- (4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया है, वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा, जो कि उस निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए।

विनियम 41.

- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियां तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियम बना सकेंगे जिनमें :-
  - (एक) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकृत किया जा सकेगा; परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिए उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;
  - (दो) ऐसे समस्त विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है; और
  - (तीन) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हो जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश द्वारा उपबंध नहीं किया गया है।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मिलन का कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो;

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी, समिति या निकाय जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

#### अध्याय- 7 प्रवेश एवं पंजीयन

- विश्वविद्यालयीन 42. (1) विद्यार्थी उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा में प्रवेश पाने के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) के

- अधीन ली गई हायर सेकण्डरी परीक्षा या दसवीं कक्षा या कोई ऐसी परीक्षा जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई है, उत्तीर्ण नहीं कर ली है, तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएं न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।
- (2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि या पत्रोपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधियों के समतुल्य या किसी अन्य परीक्षा को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) के अधीन ली गई हायर सेकण्डरी परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा ।
- (3) किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह किसी महाविद्यालय, पॉलीटेकनिक, अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र में विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं हो जाता है ।
43. विश्वविद्यालय के केवल स्नातक और उपाधिपत्रधारक और ही, ऐसी फीस, जैसी की परिनियमों द्वारा विहित की जाए, संदाय करने पर रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर में जो की ऐसे प्रारूप में रखा जाए जैसा की परिनियमों द्वारा विहित की जाए, अपने नाम नामांकित कराने के हकदार होंगे ।

#### अध्याय-8 निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

44. (1) प्रत्येक महाविद्यालय तथा पॉलीटेकनिक ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसी की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करें ।
- (2) कार्य परिषद्, समय-समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाए, ऐसी संस्था का निरीक्षण करावेगी ।
- (3) कार्य परिषद् ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया है, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी जैसा की उसे आवश्यक प्रतीत हो ।
45. (1) परिनियमों के उपबंधों के अध्ययन करते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसूचक (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;
- (तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा ।
- (2) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा ।

#### अध्याय 9. शिक्षकीय पदों में नियुक्तियां एवं सेवा शर्तें

46. (1) कोई भी व्यक्ति-
- (एक) आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक के रूप में; या
- (दो) विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य शिक्षकीय पद पर जिसका कि वेतन विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, उपधारा (2) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं;

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के, 6 माह से अधिक समय तक चालू रहने की प्रत्याशा नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा संश्लेषित विभाग या संस्था के हित के उपाय किए बिना उसमें विलंब नहीं किया जा सकता है, तो कार्यपरिषद् उपधारा (2) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किए बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गये व्यक्ति को, प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर छः मास से अधिक के कालावधि के लिए नहीं रखा जाएगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रवरण समिति में निम्नलिखित सदस्यों का गठन कुलपति करेंगे और प्रवरण समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

- |       |   |          |
|-------|---|----------|
| (एक)  | कुलपति -  | अध्यक्ष; |
| (दो)  | एक विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसे विषय के तीन विशेषज्ञों की तालिका (पैनल) में से, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संश्लेषित न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; | सदस्य    |
| (तीन) | विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से किसी प्रकार से संश्लेषित न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;  | सदस्य    |
| (चार) | भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, अथवा उसका प्रातिनिधि, जो संयुक्त सचिव पद से न्यून न हो ;   | सदस्य    |

(3) प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है. उपधारा (2) के खण्ड (तीन) तथा (चार) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हो ।

- (4) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणगुण का अन्वेषण करेगी और कार्य परिषद् को उन व्यक्तियों के, जिन्हें कि वह पदों के लिए उपयुक्त समझती है, नामों की, यदि कोई हो, उन्हें गुणानुक्रम में क्रमांकित कर सिफारिश करेगी ।
- (5) कार्य परिषद् उन व्यक्तियों में से, जिनकी कि उपधारा (4) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई है, गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्त करेगी ।

अध्यापकों को 47।  
विश्वविद्यालयों द्वारा  
देय वेतन

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, का संदाय ऐसे वेतनमानों के अनुसार होगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किए जाए ।

आवृत्तियुक्त 48.  
पदाधिकारियों का भरण  
भरण

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र शेष अवधि के लिए उसी प्रक्रिया से भरी जावेगी ।

सेवा शर्तों 49.

(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी, नियुक्त किया जायेगा और उसकी प्रति संबंधित अधिकारी, अध्यापक को दी जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों के बीच संविदा से या अन्य किसी प्रकार से प्रोद्भूत होने वाला सेवा संबंधी मामले का कोई विवाद कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाएगा तथा कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध तीस दिन के भीतर अपील कुलाधिपति को की जायेगी जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे ऐसे अधिकरण

- को निर्दिष्ट करेगा जो इस प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-
- |       |   |       |
|-------|---|-------|
| (एक)  | छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति; | सदस्य |
| (दो)  | राज्य सरकार का कोई सचिव;                                | सदस्य |
| (तीन) | राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालय का प्राचार्य           | सदस्य |
50. (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों के कल्याण के लिये ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य लाभ संस्थित करेगा जो समय-समय पर राज्य शासन अपने समकक्ष अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्दों तथा अन्य कर्मचारीवृन्दों पर लागू हो।
- किन्तु सेवानिवृत्ति पश्चात् नियोजन में लिए गए व्यक्तियों को (जो किसी भी पद पर कार्यरत हो) इस खण्ड में वर्णित लाभ लागू नहीं होगा।
51. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में-
- (क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हतायें न रखता हो, और
- (ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर पर जिसके लिये विद्या परिषद् ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हो, शिक्षण देना इसके सिवाय नहीं।
52. (1) महाविद्यालय के ऐसे आचार्य, उपाचार्य तथा प्राध्यापक और अध्यापक तथा विभागाध्यक्ष जो अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.) द्वारा अधिकथित की गई विद्या संबंधी तथा अन्य अर्हताएं अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करते हैं तथा अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.) वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं या ऐसा वेतन आहरित कर रहे हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर के रूप में मान्य किये जायेंगे और महाविद्यालय के ऐसे प्राचार्य जो संबंधित विषयों में न्यूनतम उपाधि स्तर का न्यूनतम 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राचार्य का वेतन आहरित कर रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर के रूप में मान्य किये जायेंगे।
- (2) अतिथि आचार्य (विजिटिंग प्रोफेसर) से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसी अल्प अवधि के लिये जो 6 माह से अधिक नहीं होगी, जैसी की सविदा में नियत किये जाय आमंत्रित किया गया हो।
- (3) ऐसे अध्यापक को, जो किसी संस्था में अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी।

#### अध्याय- 10. आपात-उपबंध

53. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कतिपय कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी। परंतु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट है, अनुपालन करे. और अन्य निर्देश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा:-

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय अन्तर्विलित है. मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, शिक्षक व अन्य समस्त व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतन तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;

(छ:) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दर को कम किया जाए और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाय;

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गए कुलाधिपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबन्धक होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करे।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निर्देश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उल्लंघना के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से ज़ायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

परन्तु हानि की रकम भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

अध्यापक परिस्थितियों 54. (1)  
में विश्वविद्यालय के  
केदार प्रशासन के लिए  
उपबंध करने की दृष्टि

यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हितों में समीचीन है, तो वह अधिसूचना

से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 12 के, धारा 13 के, धारा 22 से 25 तक के, धारा 34, 35, 41 तथा 64 के उपबंध करने की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को, लागू होंगे।

- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसा वह उचित समझे इस प्रकार कर सकेगी कि जिसमें अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ-साथ कुलपति को धारा 12 तथा 13 के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा।

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-
  - (एक) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा।
  - (दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।
  - (तीन) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथाउपांतरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति, जो यथाउपांतरित, धारा 12 तथा 13 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों।

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद् एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

- (5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र कुलपति, अधिनियम के यथानुपांतरित उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी।

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन के कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक की यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय।

परिणाम जो धारा 54 55.  
के अधीन अधिसूचना  
के प्रवर्तन की कालावधि  
का अवसान होने पर होगा.

धारा 54 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के अवसान पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय के लिए लागू होने के संबंध में का अवसान होने पर उपांतरित किए गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा ये लागू रहेंगे।

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का -

- (क) यथाउपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या;
- (ख) यथाउपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ;
- (ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपांतरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

#### अध्याय-11 अनुपूरक-उपबंध

विश्वविद्यालय के 56.  
प्राधिकारियों तथा निकायों  
के गठन संबंधी विवाद

यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने के हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी, ऐसे विनिश्चय के कारण प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तिर्युक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण -

- (क) "निकाय" के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है,
- (ख) "नियुक्त किया गया" के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर नियुक्तियां नहीं आती हैं।

समितियों का गठन 57.

जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियम द्वारा समिति नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उस समिति में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

58. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि:-  
 (क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है,  
 (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, या नामनिर्देशन नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या  
 (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।
- विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधि मान्य नहीं होंगी
59. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसे बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या कार्यवाही का संरक्षण परिणियमों या अध्यक्षों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
60. (1) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर परिणियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि

परन्तु जब तक कि ऐसे परिणियम बनाए जाएं किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक सी हो वहां ज्येष्ठ आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जायेगी।

- (2) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहे या उस दशा में जबकि उसकी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाए, तत्काल ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिये चार मास से अधिक न हो, छुट्टी पर चला गया हो, उसके संबंध में यह समझा नहीं जायेगा कि वह ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है।

61. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन से भिन्न कोई भी अधिकारी, संकाय का संकायाध्यक्ष, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्याग पत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किये जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायेगा।
- विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र

- (2) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्याग पत्र

उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाता है जो कि उस रिक्ति को भरने के लिये सक्षम है ।

प्राधिकारी का सदस्य होने के निरर्हता

62. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिये या सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा:-

- (क) यदि वह विकृत चित्त का है; या
- (ख) यदि वह बहरा है, मूक है या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित है; या
- (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (घ) यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्वलित हो, और उसके संबंध में कारावास से जो छः मास से कम का न हो, दंडित किया जा चुका है ।

(2) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अधीन है या रहा था, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

स्नातकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निष्काय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति

63. (1) कुलाधिपति, कार्य परिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्टर या डिप्लोमा होल्डर और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निष्काय की सदस्यता से हटा सकेगा, यदि वह व्यक्ति :-

- (एक) घोर कदाचार का दोषी है; और
- (दो) ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है; परन्तु कुलाधिपति ऐसी दशा में प्रारंभिक जांच करवायेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का कथन किया जाएगा ।

(2) आरोप-पत्र के उत्तर पर जो कि उसके पास यथास्थिति ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें कुलाधिपति का नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, कार्य परिषद का एक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति या सदस्य, जैसी भी कि दशा हो, का नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा ।

- (3) अधिकरण, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या सदस्य को सुनवाई अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा, और
- (4) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या सदस्य को यह कारण दर्शाने का कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

64. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुर्नगठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, उस अवसर पर जैसा अपेक्षित हो उसके अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो ।

कठिनाईयों का  
निराकरण

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 639/21-अ/प्रारूपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 25 of 2004)

**THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY  
ACT, 2004**

**CLAUSES****CHAPTER 1 PRELIMINARY**

- 1 SHORT TITLE EXTENT AND COMMENCEMENT
- 2 DEFINITIONS

**CHAPTER 2 THE UNIVERSITY**

- 3 INCORPORATION OF UNIVERSITY
- 4 OBJECTS
- 5 POWERS OF UNIVERSITY
- 6 JURISDICTION
- 7 PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN ALL MATTER  
CONNECTED WITH UNIVERSITY
- 8 TEACHING IN UNIVERSITY
- 9 INSPECTION OF UNIVERSITY

**CHAPTER 3 OFFICERS OF THE UNIVERSITY**

- 10 OFFICERS OF THE UNIVERSITY
- 11 THE KULADHIPATI AND HIS POWERS
- 12 APPOINTMENT OF KULPATI
- 13 EMOLUMENTS AND CONDITIONS OF SERVICE OF KULPATI  
TERMS OF OFFICE AND VACANCY IN THE OFFICE OF KULPATI
- 14 POWERS AND DUTIES OF KULPATI
- 15 POWERS AND DUTIES OF KULPATI FOR THE ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY
- 16 KULADHISACHIV
- 17 RECRUITMENT THROUGH STATE UNIVERSITY SERVICE
- 18 REGISTRAR
- 19 DEAN OF INNOVATION CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP AND STUDENT  
WELFARE
- 20 OTHER EMPLOYEES

**CHAPTER 4 AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY**

- 21 AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
- 22 EXECUTIVE COUNCIL
- 23 POWERS, DUTIES OF EXECUTIVE COUNCIL
- 24 FINANCE COMMITTEE
- 25 ACADEMIC COUNCIL
- 26 POWERS AND DUTIES OF ACADEMIC COUNCIL
- 27 FACULTIES
- 28 BOARD OF STUDIES
- 29 POWERS AND FUNCTIONS OF BOARD OF STUDIES
- 30 ACADEMIC PLANNING AND EVALUATION BOARD
- 31 BOARD TO BE CONSTITUTED

**CHAPTER 5 FINANCES, ACCOUNTS AND AUDIT**

- 32 UNIVERSITY FUND
- 33 OBJECTS TO WHICH UNIVERSITY FUND MAY BE APPLIED
- 34 ANNUAL REPORTS
- 35 AUDIT OF ACCOUNTS

**CHAPTER 6 STATUTE, ORDINANCE AND REGULATION**

- 36 STATUTE
- 37 STATUTE HOW MADE
- 38 ORDINANCE
- 39 ORDINANCE HOW MADE
- 40 PROCEDURE REGARDING ORDINANCE
- 41 REGULATION

**CHAPTER 7 ADMISSION AND REGISTRATION**

- 42 ADMISSION TO UNIVERSITY COURSES
- 43 REGISTERED GRADUATES OR DIPLOMA HOLDERS

**CHAPTER 8 INSPECTION OF INSTITUTIONS AND QUALITY CONTROL**

- 44 INSPECTION OF COLLEGE AND POLYTECHNIC
- 45 APPOINTMENTS OF EXAMINERS AND MODERATORS

**CHAPTER 9 APPOINTMENT TO TEACHING POSTS AND SERVICE CONDITIONS**

- 46 APPOINTMENT OF TEACHING POSTS
- 47 SALARIES TO TEACHERS PAYABLE BY UNIVERSITY
- 48 FILLING OF CASUAL VACANCIES
- 49 SERVICE CONDITIONS
- 50 PENSION AND PROVIDENT FUND
- 51 APPROVAL FOR IMPARTING INSTRUCTION
- 52 CLASSIFICATION OF TEACHERS

**CHAPTER 10 EMERGENCY PROVISIONS**

- 53 STATE GOVERNMENT TO ASSUME FINANCIAL CONTROL  
IN CERTAIN CIRCUMSTANCES
- 54 POWERS OF STATE GOVERNMENT TO APPLY ACT IN MODIFIED  
FORM WITH A VIEW TO PROVIDE FOR BETTER ADMINISTRATION  
OF UNIVERSITY IN CERTAIN CIRCUMSTANCES
- 55 EFFECT ON EXPIRATION OF THE PERIOD OF OPERATION OF  
NOTIFICATION UNDER SECTION 54

**CHAPTER 11 SUPPLEMENTARY PROVISIONS**

- 56 DISPUTE AS TO CONSTITUTION OF UNIVERSITY AUTHORITIES  
AND BODIES
- 57 CONSTITUTION OF COMMITTEE
- 58 PROCEEDINGS OF UNIVERSITY AND BODIES NOT INVALIDATED  
BY VACANCIES
- 59 PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH
- 60 TERMS OF OFFICE OF MEMBERS OF AUTHORITY OF UNIVERSITY
- 61 RESIGNATION OF MEMBER OR OFFICER OF UNIVERSITY
- 62 DISQUALIFICATIONS FOR BEING MEMBER OF AUTHORITY
- 63 POWER TO REMOVE FROM REGISTER OF GRADUATES OR DIPLOMA HOLDERS OR ANY  
AUTHORITY OR BODY OF UNIVERSITY
- 64 REMOVAL OF DIFFICULTIES

CHHATTISGARH ACT  
(No. 25 of 2004)

**THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY  
ACT, 2004**

An Act to establish and incorporate a University of Technology for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in engineering and technological subjects including Architecture and Pharmacy at Research, Post Graduate Degree and Diploma level and to provide for matters connected there with or incidental there to.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty fifth year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER - 1  
PRELIMINARY**

Short title, extent and commencement	1.	(1)	This Act may be called The Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam, 2004;
		(2)	It extends to the whole of the State of Chhattisgarh;
		(3)	It shall come into force on its date of publication in official gazette.
Definition	2.		In this Act, unless the context otherwise requires-
		(one)	“ <b>Academic Council</b> ” means the Academic Council of the University;
		(two)	“ <b>Affiliated College or Polytechnic</b> ” means an institution admitted to the privileges of the University in accordance with the provisions of this Act and the Statute;
		(three)	“ <b>All India Council for Technical Education</b> ” means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987)
		(four)	“ <b>Autonomous College or Polytechnic</b> ” means an institution declared as autonomous institution by the Executive Council in accordance with the provisions of this Act;
		(five)	“ <b>Board of Studies</b> ” means the Board of Studies of the University;
		(six)	“ <b>Centre</b> ” means a part of the University nurturing specific activities pertaining to emerging technologies;
		(seven)	“ <b>College or Polytechnic</b> ” means an institution maintained by, or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of this Act;
		(eight)	“ <b>Department</b> ” means a Department of studies and includes a School of Studies;

- (nine) **“Employees”** means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (ten) **“Executive Council”** means the Executive Council of the University;
- (eleven) **“Faculty”** means Faculty of the University;
- (twelve) **“Head of College or Polytechnic Department”** means the head of the department of a College or Polytechnic;
- (thirteen) **“Head of the University Department”** means the head of the teaching department by the University for imparting instructions to the students of the University and includes the Director or Principal of any college or institute maintained, by the University for the promotion of research or for imparting instructions to the students;
- (fourteen) **“Kuladhipati”** means the Kuladhipati of the University;
- (fifteen) **“Kulpati”** means the Kulpati of the University;
- (sixteen) **“Management”** means the management of the college;
- (seventeen) **“Other Backward Classes”** means the Other Backward Classes as specified by the State Government from time to time by Notification;
- (eighteen) **“Persons connected with the University”** means an employee of the University or a College or a Polytechnic or a member of any authority or body of the University or of the Management of the College or Polytechnic;
- (nineteen) **“Principal”** means the head of the college or Polytechnic and includes, when there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal;
- (twenty) **“Registered graduate or diploma holder”** means a graduate or diploma holder registered or deemed to be registered under the provisions of this Act;
- (twentyone) **“Scheduled Castes”** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
- (twentytwo) **“Scheduled Tribes”** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (twentythree) **“School of Studies”** means an institution maintained by the University as a place of higher learning and research;
- (twentyfour) **“Statute, Ordinance and Regulation”** means the Statute, Ordinance and Regulation of the University;
- (twentyfive) **“Teachers of the University”** means Professor, Reader, Lecturer and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research, with the approval of the Academic Council in the University or any College Polytechnic or any institution maintained or recognised by the University;
- (twentysix) **“Technical Education”** means Engineering, Technology, Management, Pharmacy, Architecture and other subjects as declared by All India Council of Technical Education from time to time;

(twentyseven)“**University**” means the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University;

(twentyeight)“**University Grants Commission**” means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 ( No. 3 of 1956);

(twentynine)“**Vidhan Sabha**” means Chhattisgarh Vidhan Sabha.

## CHAPTER -2 THE UNIVERSITY

### Incorporation of University

3. (1) The Kuladhipati and the first Kulpati of the University and the first members of the Executive Council and of the Academic council thereof shall constitute the University and the University so constituted shall be a body corporate by the name of the “Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University”.
- (2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the University shall be competent to acquire and hold property, both, movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property, which may have become vested in, or may have been acquired by it for the purposes of the University and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.
- (4) The headquarters of the University shall be at Bhilai.

### Objects

4. The University shall inter alia have the following main objectives :-
- (a) to provide a system of Technical & Management Education capable of responding to the changing requirements of technical manpower ;
- (b) to bring about qualitative improvement in teaching and learning process ;
- (c) to provide congenial environment for continuing education Consultancy, and Research and Development activities ;
- (d) to provide for mutual benefits and develop strong links with industry and to provide consultancy and testing services for increas of internal resources of new industries and bussiness organisations and motivate organisations for protection of intellectual property right;
- (e) to provide consultancy and testing services to increase the internal resources in industries and business institutions and motivate to protect intellectual property right ;
- (f) to provide necessary help to the institutions to encourage entrepreneurship amongst students ;
- (g) to maintain live contact with alumini and develop alumini sponsored

Powers of  
University

programmes ;

- (h) to seek cooperation from national institutes for innovation in technology ;
- (i) for developing excellent educational atmosphere and students to keep live contact with institutes of international standard ;

5. Subject to the provisions of this Act, the University shall have the following powers, namely :-

- (1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge ;
- (2) to organise laboratories, libraries, museums and other equipment for teaching and research ;
- (3) to establish, maintain and manage colleges, polytechnics teaching departments, schools of studies, centres of studies, hostels and guest houses ;
- (4) (a) to create post of Professor, Reader, Lecturer and any other academic or teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts in accordance with the provisions of this Act ;
- (b) to invite persons working in any other University or organization as teachers of the University for a specified period ;
- (5) to recognise eminent persons in any subject to guide research in that subject ;
- (6) to lay down the courses of instruction for various examinations ;
- (7) to institute degree, diploma, certificate and other academic distinctions ;
- (8) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates and confer degrees and other academic distinction on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing ;

Provided that no person shall be admitted to an examination leading to any degree or diploma of the University unless such persons, if he had offered a subject for such examination for which a course of practical work is prescribed has completed such work in the college or polytechnic of the University and produces a certificate of such completion from the Head of the Teaching Department or School of Studies or the Principal of the College or Polytechnic ;

- (9) to confer degrees and other academic distinctions on persons who have carried on research under conditions laid down in the Ordinance ;
- (10) to withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions for good and sufficient reasons ;
- (11) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved

persons in the manner prescribed in the Statute ;

- (12) to provide such lecture and instruction, and to grant such diploma and certificate to persons who are not enrolled as students of the University as the University may determine ;
- (13) to admit to its privileges colleges or polytechnics not maintained by the University, to withdraw all or any of these privileges and to take over the management of Colleges or Polytechnics in the manner and under conditions prescribed by the Statute or the Ordinance ;
- (14) to declare teaching departments of the University, Schools of Studies, or Colleges or Polytechnics as autonomous ;

Provided that the extent of the autonomy which teaching department of the University, Schools of studies or Colleges or Polytechnics may have and the matters, in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statute.

- (15) to conduct, co-ordinate, regulate and control teaching and research work in the Colleges or Polytechnics recognised by the University ;
- (16) to recognise hostels not maintained by the University and withdraw any such recognition in the manner prescribed in the Statute and the Ordinance;
- (17) to inspect Colleges or Polytechnics or institutions and to take measures to ensure that proper standards of instructions, teaching and training are maintained;
- (18) to promote with special care the educational interests of the weaker sections of the people and, in particular of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes;
- (19) to provide facilities of refresher and vocational courses to the teachers and alumini of the University ;
- (20) to co-operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (21) to make provision for:-
  - (a) Extra-mural teaching and extension services;
  - (b) Correspondence courses;
  - (c) Sports and athletic activities;
  - (d) Social service scheme;
  - (e) National Cadet Corps;
- (22) to provide coaching for competitive examinations for service under the Union or the State Government and such other training as may contribute to national development;
- (23) to institute and manage-
  - (a) Information Bureau;
  - (b) Employment Bureau and;

(c) Printing and Publication Department;

- (24) to supervise and control the residence, conduct and discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (25) to demand and receive payment of such fees and other charges which may be prescribed by the Ordinance;
- (26) to prescribe and control the fees and other charges which may be received or recovered by colleges;
- (27) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;
- (28) to exercise control over the salaried officers, teachers and other employees of the University in accordance with the Statute and the Ordinance;
- (29) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other awards;
- (30) to receive donations and grants and to invest funds in accordance with the provisions of this Act;
- (31) with the prior approval of the State Government to borrow on the security of University property on money for the purposes of the University;
- (32) to determine standards for admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (33) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (34) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;
- (35) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University;

**Jurisdiction**

6. (1) The Jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh. In future the jurisdiction may extend beyond the State of Chhattisgarh, provided that the prior permission is accorded by the concerned Governments.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any College or Polytechnic or institution imparting Technical Education and situated within the limits of the area specified under subsection (1) shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated with other University or Board in the manner prescribed by Statute

or Regulation,

- (3) The research and development work being carried out in Colleges or Polytechnics or Institutions which have been admitted to the privileges of the University shall be co-ordinated and integrated into the activities of the University with effect from such date or dates as may be fixed by the mutual consent of the University and concerned colleges or polytechnics or institutions.

Prohibition of discrimination in all matters connected with University

7. It shall not be lawful for the University to impose any condition relating to religion, caste, sex, place of birth or any other opinion in order to entitle any person-
- (i) to hold any office in the University ; or
  - (ii) to be a member of any authority of the University; or
  - (iii) to be appointed or admitted as a teacher; or
  - (iv) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinction or course of study or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction; or
  - (v) to enjoy or exercise any privilege of the University or benefit thereto; or
  - (vi) to donate funds for creation of endowment.

Provided that the University may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any college or polytechnic or Institution or residence exclusively for women either for education, instruction or reserve for women or members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, or Other Backward Classes, seats for the purposes of admission as students in any College or Polytechnic or Institution maintained or controlled by the University.

Teaching in University

8. All recognised teaching in the University course, the authorities responsible for organising such teaching and the curriculum shall be such as may be prescribed by Statute Ordinance or Regulation, as the case may be.

Inspection of University

9. (1) The Kuladhipati may, on his own motion, and shall on a request made by the State Government, cause an inspection of the University, its building, laboratories, museums, workshops and equipment and of any College or Polytechnic or Institution maintained by the University or admitted to its privileges, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, Colleges or Polytechnics or Institutions to be made by such person or persons as he may direct.
- (2) The Kuladhipati shall, in such case, give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made:-
- (i) to the University, if such inspection or inquiry is to be made in

respect of the University, College or Polytechnic or Institution maintained by it;

- (ii) to the management of the College or Polytechnic or Institution if the inspection or inquiry is to be made in respect of College or Polytechnic or Institution admitted to the privileges of the University and the University or management, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative and shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (3) Such person shall report to the Kuladhipati the result of such inspection or inquiry and the Kuladhipati shall communicate through Kulpati to the Executive Council of the University or the management of the college as the case may be, his views with reference to the result of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the management thereon, advise the University or the management about the action to be taken.

Provided that where an inspection or inquiry is caused on request of the State Government, the Kuladhipati shall take action under this sub-section in consultation with the State Government.

- (4) The Executive Council or the management as the case may be, shall communicate such action if any, as it has taken or may propose to take upon the result of such inspection or inquiry through Kulpati to the Kuladhipati and such report shall be submitted within such time as the Kuladhipati may direct.
- (5) Where the Executive Council or the management, fail to take action within such time to the satisfaction of the Kuladhipati, the Kuladhipati may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the management, and after consultation with the State Government, issue such directions as he may think fit and the Executive council or management, as the case may be, shall comply with it.

### CHAPTER - 3

#### OFFICERS OF THE UNIVERSITY

##### Officers of the University

10. The Following shall be the officers of the University, namely :-
- (i) The Kuladhipati;
  - (ii) Kulpati;
  - (iii) Kuladhisachiv;
  - (iv) Deans of the Faculties;
  - (v) Registrar;
  - (vi) Dean of Innovation, Creativity and Entrepreneurship and student welfare;



Provided further that if the person or persons approved by the Kuladhipati out of those recommended by the Committee are not willing to accept the appointment, the Kuladhipati may call for fresh recommendations from search Committee;

(2) The Kuladhipati shall constitute a search committee consisting of the following persons, namely:-

- (i) one person recommended by the Executive Council;
- (ii) one person nominated by the Chairman of the All India Council of Technical Education;
- (iii) one person nominated by Kuladhipati;

Kuladhipati shall appoint one of these three person as chairman of the committee

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Kuladhipati shall, six months before the expiry of the term of Kulpati, call upon the Executive Council and the Chairman of the All India Council of Technical Education to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Kuladhipati's communication in this regard, the Kuladhipati may further nominate any one or both the persons, as the case may be.

(4) No person who is connected with the University or any college shall be recommended or nominated on the committee under subsection(2)

(5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Kuladhipati.

(6) If for any reason the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Kuladhipati shall constitute another committee consisting of three persons not connected with the University or any College, and shall appoint them and one of them shall be designated as the Chairperson. The Committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified; from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified there in, the Kuladhipati may appoint any person whom he deems fit to be Kulpati after consultation with the State Government.

Emoluments and conditions of service of Kulpati, terms of office and vacancy in the office of Kulpati

13. (1) Kulpati shall be a whol-time salaried officer of the University and his emoluments and other and conditions of service or attains the age of 70 years which ever is earlear shall be prescribed by the Statute.
- (2) Kulpati shall hold office for a term of 4 years and shall not be eligible for

appointment for more than two terms.

Provided that not with standing the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed six months.

(3) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Kuladhipati that Kulpati. —

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the University; or

(c) is incapable of managing the affairs of the University, the Kuladhipati may notwithstanding the fact that the term of office of Kulpati has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Kulpati to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(4) No order under sub-section (3) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to Kulpati and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (3), Kulpati shall be deemed to have relinquished the office and the office of Kulpati shall fall vacant.

(6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of Kulpati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise Kuladhisachiv and if no Kuladhisachiv has been appointed or Kuladhisachiv is not available, the Dean of any faculty nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section(1) or sub-section(7) of section 12 enters, as the case may be, upon office;

Provided that the arrangements contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Powers and duties  
of Kulpati

14.

(1) Kulpati shall be the Chief Executive and Academic Officer of the University. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council, and Chairman of such other authorities, committees or bodies of the University of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the University, but shall not be entitled to vote unless he is a member of the authority, committee or body concerned.

(2) It shall be the duty of Kulpati to ensure that this Act, the Statute, the Ordinance and the Regulation are faithfully observed and he shall have

all powers necessary for this purpose.

(3) Kulpati shall have power to call the meetings of the Executive Council or Academic Council and any other authority of which he is the chairman or he can delegate this power to any other officer.

(4) If in the opinion of Kulpati any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, Kulpati shall take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that the action taken by Kulpati shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months;

Provided further that where any such action taken by Kulpati affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Executive Council;

Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in Ordinance, Statute, Regulation or any matter relating to appointments.

(5) On receipt of report under sub-section (4) if the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by Kulpati it shall refer the matter to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

(6) The action taken by Kulpati under sub-section (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Kuladhipati on a reference made under sub-section (5) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso of sub-section (4).

(7) If in the opinion of Kulpati, any proceeding of any authority, committee or other body of the University is likely to be prejudicial to the interest of the University, he shall record his reason and refer the matter to the Kuladhipati and also inform the authority, committee or other body concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Kuladhipati under sub-section (4) of Section 11.

(8) Kulpati shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.

(9) Kulpati shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statute, Ordinance and Regulation.

**Powers and duties of Kulpati for the establishment of the University**

15. To carry out the business of newly established university the State Government may appoint Kulpati, a person from the field of Technical Education for a period not exceeding two years and the person so appointed shall constitute Executive Council, Academic Council and other Authorities of the University within a

period of six months from the date of establishment of the University and till the said authorities are constituted, Kulpati shall be deemed to be the Executive Council, Academic Council or such other Authority, as the case may be, and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act:

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee, after consultation with the State Government, consisting of an educationist and an administrative expert and representative from industries to aid and advise Kulpati in the exercise of his powers and performance of functions in lieu of each such authority.

- The Kuladhisachiv** 16. (1) A Kuladhisachiv shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of Kulpati, if the Executive Council does not accept the recommendation of Kulpati the matter shall be referred to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final. First Kuladhisachiv shall be appointed by Kulpati after consultation with the State Government.
- (2) The Kuladhisachiv shall be a salaried officer of the University.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the term of office, conditions of service and emoluments of Kuladhisachiv shall be such as may be prescribed by Statute and till so prescribed, as may be determined by the Kuladhipati.
- (4) Kuladhisachiv shall perform such duties and exercise such powers of Kulpati as may be assigned to him by the Kuladhipati in consultation with Kulpati and he shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed by Regulation.
- Recruitment through State University Service** 17. The post of Registrar and such other cadres of other officers shall be filled from the officers of the State University Service Constituted under the Chhattisgarh University Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973). In case of non-availability of such officers the posts shall be filled in by the Kuladhipati by securing the services of suitable officers on deputation.
- Registrar** 18. (1) Registrar shall be the whole-time salaried officer of the University and shall discharge his duties under the Act, subject to the general superintendence and control of Kulpati, he shall act as the secretary of the Executive Council, Academic Council, and Academic Planning and Evaluation Board.
- (2) Registrar shall be appointed in accordance with the provisions of Section 17;

Provided that the first Registrar of the University shall be appointed by the Kuladhipati after consultation with the State Government and shall hold office for period not exceeding two years and on such terms and conditions as the Kuladhipati may determine.

- (3) Subject to the powers of the Executive Council Registrar shall, unless otherwise provided in the Statute, be responsible for seeing that all money are expended for the purpose for which they are granted or allotted.
- (4) Unless otherwise provided for by or under this Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticate by Registrar on behalf of the University.
- (5) Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by Statute, Ordinance and Regulation.
19. **Dean of Innovation creativity and Entrepreneurship and Student welfare**
- (1) The Dean of Innovation, Creativity and Entrepreneurship and student welfare shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of Kulpati.
- (2) Dean appointed under sub-section (1) shall be a whole-time salaried officer.
- Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary, appoint, on the recommendation of Kulpati, a teacher, not below the rank of a Reader for a period not exceeding two years to discharge the duties of the Dean, in addition to his duties as such teacher, and, in such case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.
- (3) The terms and conditions of service and duties and powers of the Dean shall be prescribed by the Statute.
20. **Other employees**
- The Appointment of other employees of the University not covered by Section 17 shall be made in such manner and the conditions of their service shall be such as may be prescribed by the Statute, Ordinance and Regulation.

#### CHAPTER-4

#### AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

21. **Authorities of the University**
- The Following shall be the authorities of the University, namely:-
- (one) Executive Council;
- (two) Finance Committee;
- (three) Academic Council;
- (four) Faculties;
- (five) Board of Studies;
- (six) Academic Planning and Evaluation Board;
- (seven) such other authorities as may be declared by the Statute to be the authorities of the University.
22. **Executive Council**
- The Executive Council shall be the Executive body of the University and shall consist of the following, namely :-
- (one) Kulpati;
- (two) Secretary in charge – Technical Education
- Chairman  
Member

- |             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
|             | Government of Chhattisgarh;  |                     |
| (three)     | Secretary incharge of Finance Department<br>Government of Chhattisgarh;  | Member              |
| (four)      | Secretary incharge of Industry Department<br>Government of Chhattisgarh ;  | Member              |
| (five)      | Kulpati- Rajiv Gandhi Praudyogiki Vishwavidyalaya<br>Bhopal;   | Member              |
| (six)       | Director of Indian Institute of Technology<br>nominated by Kuladhipati;  | Member              |
| (seven)     | Chairman Confederation of Indian Industries<br>Eastzone ;  | Member              |
| (eight)     | Two principals of affiliated colleges or polytechnics<br>or institutions to be nominated by the Kuladhipati<br>by rotation, according to seniority;                            | Member              |
| (nine)      | All Deans of Faculties ;   | Member              |
| (ten)       | Two Professors from the University teaching<br>Departments/ affiliated Colleges or Institutions<br>to be nominated by the Kuladhipati, by rotation,<br>according to seniority; | Member              |
| (eleven)    | Two Heads of Departments from affiliated<br>Polytechnics to be nominated by the Kuladhipati,<br>by rotation according to seniority;  | Member              |
| (twelve)    | Director Technical Education, Chhattisgarh;  | Member              |
| (thirteen)  | Chairman All India Council for Technical<br>Education Central Region Committee, Bhopal;  | Member              |
| (fourteen)  | Two known industrialists with technical and<br>managerial experience to be nominated by<br>the Kuladhipati;  | Member              |
| (fifteen)   | Three members of Vidhan Sabha to be<br>nominated by the speaker of Vidhan Sabha;   | Member              |
| (sixteen)   | An educationist in the field of technical<br>education to be nominated by the Kuladhipati;   | Member              |
| (seventeen) | Registrar.   | Member<br>Secretary |
| (2)         | The members of the Executive Council other than <i>Ex-officio</i> members<br>shall hold office for a period of three years.  |                     |
| (3)         | One third of the members of the Executive Council shall form the<br>quorum:  |                     |

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meet-

Powers duties of  
Executive Council

23. (1)

ing which is summoned after one hour.

Subject to the provisions of this Act, and the Statute, Ordinance and Regulation made there under, the Executive Council shall be the supreme authority and shall have the following powers and perform the following duties namely :-

- (one) to hold, control and administer the property and funds of the University;
- (two) to administer the funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (three) to adopt the annual accounts together with the audit report;
- (four) to prepare the annual financial estimates and pass it;
- (five) to fix the limit for the total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year based on the resources of the University which in the case of productive works, may include the proceeds of Loans;
- (six) Subject to clause (five), at any time during the financial year,
  - (a) to reduce the amount of the budget grant;
  - (b) to sanction the transfer of any amount within a budgeted grant from one head to another or from a subordinate head under one minor head to a subordinate head under another minor head; or
  - (c) to sanction the transfer of any amount exceeding rupees fifty thousand within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another primary unit;
- (seven) to borrow and lend funds on behalf of the University;
 

Provided that funds shall not be borrowed on the security of University property without the prior approval of the State Government;
- (eight) to transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
 

Provided that no immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government be transferred by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise;
- (nine) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers and performance of the duties assigned to it by this Act, and the Statute;
- (ten) to determine the form of, provide for the custody and regulate

the use of the common seal of the University;

(eleven) to lay before the State Government annually a full statement of the financial requirements of University and Colleges, Polytechnics and Hostels;

(twelve) to admit Colleges or Polytechnics to the privileges of the University on the recommendation of the Academic Council and subject to the provisions of this Act and Statute and to withdraw any of the privileges and to take over the management of the College or Polytechnic in the manner and under conditions prescribed by the Statute and Ordinance;

(thirteen) to declare Teaching Departments of the University, schools of Studies or Colleges or Polytechnics as autonomous College or Polytechnic;

Provided that the extent of autonomy which each such Teaching Department of the University, school of Studies or Colleges or Polytechnics may have and the matters in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statute.

(fourteen) to make provision for building, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying on the works of the University;

(fifteen) to accept on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfers of any movable or immovable property to the University;

(sixteen) to manage and regulate the finances, accounts and investments of the University;

(seventeen) To institute and manage;

- (a) a Printing and Publication Bureau;
- (b) an Information and Employment Bureau;
- (c) an Alumni Bureau;
- (d) an Entrepreneurship Bureau ;

(eighteen) to make provision for;

- (i) External teaching and research;
- (ii) University Extension Activities;
- (iii) Correspondence Courses;
- (iv) Student's Welfare;
- (v) Sports and athletic Activities;
- (vi) Social Service Scheme; and
- (vii) National Cadet Corps;

(nineteen) to scrutinise all proposals of the Academic Council with a view

to their execution within the framework of the budget;

(twenty) to create posts of Professor, Reader, Lecturer or other teaching posts as may be proposed by the Academic Planning and Evaluation Board.

Provided that no teaching post shall be created without the prior approval of the State Government.

(twentyone) to create administrative, ministerial and other posts with the prior sanction of the State Government;

(twentytwo) to abolish or suspend, any post of Professor, Reader, Lecturer or other Teaching posts in the University on the recommendations of the Academic Planning and Evaluation board;

(twentythree) to establish, maintain and manage Colleges, Polytechnics, teaching Departments, institutions of research of specialised studies, laboratories, libraries, museums and hostels;

(twentyfour) to recognise hostels and to provide housing accommodation for teachers of the University;

(twentyfive) to arrange for and direct the inspection of affiliated college, recognised institutions, Polytechnics and hostels and to issue instructions for maintaining their efficiency and for ensuring proper conditions of employment for members of their staff, and payment of salaries and, in case of disregard of such instructions, to modify on the recommendations of the Academic Council, the conditions of affiliation or recognition or taking such other steps as it deems necessary and proper in that behalf;

(twentysix) to prepare a College code laying down therein the terms and conditions of affiliation of colleges and Polytechnics;

(twentyseven) to call for reports, returns and other information from affiliated colleges, recognised institutions or polytechnics or hostels;

(twentyeight) to supervise, and control the admission in institution and hostel, conduct and discipline of the students and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(twentynine) to recommend to the Kuladhipati the conferment of honorary degree and academic distinctions in the manner prescribed by the Statute;

(thirty) to confer or withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in the manner prescribed by the Statute;

(thirtyone) to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(thirtytwo) save as otherwise provided by this Act, or the Statute, to appoint the officers other than Kulpati, teachers and other employees of the University, to define their duties and the conditions of their service and to pro-

vide for the filling up of temporary vacancies;

- (thirtythree)to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and ministerial staff of the University in accordance with the Statute and Ordinance;
- (thirtyfour)to recognise a member of the staff of an affiliated or recognised institution as a teacher of the University and withdraw such recognition;
- (thirtyfive)to fix remuneration of examiners and to arrange for the conduct of and for publishing the results of the University examinations and other tests;
- (thirtysix)to cancel examinations in the event of malpractices, partially or wholly, and to take action against any persons or group of persons or institutions found guilty of such malpractices, including rustication of students;
- (thirtyseven)to take disciplinary action against students enrolled in the University including candidates for any examination.
- (thirtyeight)to take disciplinary action against staff, persons appointed as invigilators, examiners etc; who are indisciplined.
- (thirtynine)to fix demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinance;
- (fourty) to make, amend and cancel Ordinance;
- (fourtyone)to accept, reject or return to the Academic Council for consideration, but not to amend, Regulation framed by the Academic Council;
- (fourtytwo)to entertain, adjudicate upon and, if deemed fit, to redress grievances of the employees and the students;
- (fourtythree)to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act;
- (fourtyfour)to exercise all powers of the University not otherwise provided for in this Act or the Statute and all other powers which are requisite to give effect to the provisions of this Act or the Statute;
- (fourtyfive)to delegate by Regulation any of its powers to Kulpati, Registrar or such other officer of the University or a Committee appointed by it as it may deem fit.

Finance Committee 24.

(1) Kulpati shall constitute a Finance Committee for the University consisting of the following members, namely:-

- |   |          |
|---|----------|
| (one) Kulpati;  | Chairman |
| (two) Two Financial Experts to be nominated by the Kuladhipati; | Member   |
| (three) Finance officer of the University;                      | Member   |
| (four) Secretary, Department of Technical Education;            | Member   |
| (five) Secretary, Department of Finance                         | Member   |

(six) Registrar ; Member  
Secretary

(2) The finance Committee shall control the finances of the University.

(3) Subject to the provisions of this Act and the Statute, Ordinance and Regulation made thereunder, the Finance Committee shall exercise the powers and perform the functions as under :-

- (a) to review the Income and expenditure of the University;
- (b) to prepare the annual financial estimate of the University before the commencement of the financial year and place it before the Executive Council for approval and to advise amendment therein from time to time;
- (c) to get the annual accounts and the annual audit of the University completed in time and, in the light of the report, order appropriate directions;

(4) Three members shall form the quorum out of which presence of Kulpati and one member either from clause (four) or (five) of sub-section (1) shall be essential.

Academic Council 25.

(1) The Academic Council shall be the academic body of the University consisting of the following members, namely :-

- (one) Kulpati; Chairman
- (two) Kuladhisachiv ; Member
- (three) Director Technical Education, Chhattisgarh; Member
- (four) Chairman, Chhattisgarh Board of Secondary Education; Member
- (five) Dean of Faculties; Member
- (six) Chairman of Board of Studies; Member
- (seven) Heads of the Departments of the University; Member
- (eight) Four Principals, two from affiliated Colleges and two from affiliated Polytechnics to be nominated by Kulpati, by rotation, according to seniority; Member
- (nine) Two Professors from affiliated colleges of the University to be nominated by Kulpati, by rotation, according to seniority; Member
- (ten) Two Readers from the University Teaching Departments amongst whom one shall be a lady teacher nominated by Kulpati, by rotation, according to seniority; Member
- (eleven) Registrar of the University. Member  
Secretary

Powers and duties  
of Academic  
Council

26

- (2) One-third of the members of the Academic Council shall form the quorum;
- (3) The Academic Council shall have the power to co-opt, as members, two persons having special knowledge or experience in the field of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.
- (4) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred to in sub-section (3) shall hold office for a term of three years.

- (1) The Academic Council shall in addition to all other powers vested in it by this Act., the Statute and the Ordinance have the following powers and perform the following duties, namely. :-

- (one) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give direction regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and polytechnics maintained by or admitted to the privileges of the University, valuation of research or improvements in academic standards;
- (two) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a faculty or the Executive Council and to take appropriate action thereon;
- (three) (a) to make proposals for allocation of departments to the Board of studies;
- (b) to assign fellows and its own members to the faculty;
- (four) to make proposals to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award.
- (five) to consider the application for admission of an educational institution to the privileges of the University.

Provided that no such application shall be considered unless the institution has been approved by the All India Council for Technical Education and the State Government.

- (six) to prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition;
- (seven) to make arrangement for the conduct of examinations and to appoint result committees or other persons or both, as it thinks fit, to prepare the result of examinations and report such result to the Executive Council for publication;
- (eight) to recognise persons eminent in any subject to guide research in that subject;
- (2) The Academic Council may appoint a standing committee from amongst

			its members. The constitution, powers and functions of the said standing committee shall be determined by the Statute.	
Faculties	27.	(1)	The University shall have one or more faculties as may be prescribed by the Statute;	
		(2)	Each faculty shall consist of dean and such other members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statute;	
		(3)	Each faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Ordinance;	
		(4)	Dean shall be appointed by the Kuladhipati on the recommendation of the Kulpati for a period of two years from amongst the Professors of the University Teaching Departments or School of Studies or colleges of the said subject;	
			Provided that if there is no Professor in the University Teaching Departments, or Schools of Studies of the said subject, dean shall be appointed from amongst the Professors of affiliated colleges of the said subject;	
		(5)	Dean shall be the Chairman of the faculty and shall be responsible for the implementation of the Statute, the Ordinance and the Regulation relating to the faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching and research;	
Board of Studies	28.	(1)	There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects for degree courses as prescribed by the Statute;	
		(2)	Each Board shall consist of such persons as may be prescribed by the Statute.	
Powers and Functions of Board of Studies	29.		The Board of Studies shall have such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statute.	
Academic, planning and evaluation Board	30.	(1)	The Academic Planning and Evaluation Board shall consist of the following members, namely:-	
		(one)	Kulpati;	Chairman
		(two)	Kuladhisachiv;	Member
		(three)	Registrar;	Member secretary
		(four)	Dean of Faculties;	Member
		(five)	Nominee of the State Planning board;	Member
		(six)	Two principals of college nominated by Kulpati;	Member
		(seven)	Two reputed scholars in the field of technical education not connected with the University nominated by the State Government;	Member
		(eight)	Finance officer of the University	Member

- (nine) Two representatives of Industry Member  
nominated by the Kuladhipati;
- (2) One-third of the members of the Board shall form quorum.
- (3) The term of the Academic Planning and Evaluation Board shall be three years.
- (4) The Academic Planning and Evaluation Board shall have the following powers and perform the following duties, namely:-
- (one) to prepare the short-term and long-term plans of the University;
- (two) to consider and forward to the Executive Council with its recommendations the research projects and academic programmes proposed by the faculties and to bring about inter-faculty co-ordination for taking up projects on inter faculty basis;
- (three) to suggest new academic programmes for the faculties and to do academic evaluation of affiliated colleges and polytechnics of the University from time to time;
- (four) to make proposals for the establishments of departments, institutions of research and specialised studies, laboratories and museums;
- (five) to evaluate from time to time the working of the University Teaching Departments, and Schools of Studies;
- (six) To evaluate periodically the progress of the plans.
- Board to be constituted 31. (1) There shall be such other Boards in the University as may be prescribed by the Statute.
- (2) The Constitution, terms, powers and duties of the Board constituted under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the Statute.

## CHAPTER-5

### FINANCES, ACCOUNTS AND AUDIT

- University Fund 32. (1) The University shall establish a Fund to be called the University Fund.
- (2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund:-
- (a) any rent, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
- (b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants;
- (c) the income of the University from all sources including income from fees and charges;
- (d) all other sums received by the University;
- (3) The University Fund shall be kept in any Nationalised Bank.
- Object to which University Fund may be applied 33. (1) The University Fund shall be applicable to the following objects, and in the following order :-
- (one) payment of debts incurred by the University for the purpose of

- this Act and Statute, the Ordinance and Regulation made thereunder;
- (two) upkeep of Colleges, teaching departments, Schools of Studies established by the university, residences and hostels;
- (three) payment of the cost of audit of the University fund;
- (four) expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (five) payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges maintained by the University for and in furtherance of the purposes of this Act, and the Statute, the Ordinance and Regulation made thereunder and to the payment of any Provident Fund Contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishment;
- (six) payment of the travelling and other allowances of the members of the Executive Council, the Academic Council and any other authorities of the University or the members of any Committee or Board constituted by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of this Act, and the Statute, Ordinance and Regulation made thereunder;
- (seven) payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students.
- (eight) payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act, and the Statute, Ordinance and Regulation made thereunder;
- (nine) payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expenses for the purposes of the University.
- (2) No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council without the previous approval of the Executive Council.
- (3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council.

Executive Council at its annual meeting. The Executive Council may pass resolution thereon and communicate the same to the Kuladhipati

The University shall, thereafter send a copy of the annual report to the State Government and the State Government shall, cause the same to be laid on the table of the State Legislative Assembly regularly.

Audit of Account 35.

- (1) The Accounts of the University shall be audited at least once in every year at intervals of not more than fifteen months by the examiner of local fund accounts of the State.
- (2) The copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the State Government and the same shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

#### CHAPTER - 6

#### STATUTE, ORDINANCE AND REGULATION

Statute

36.

Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder the Statute may provide for all or any of the following matters, namely;

- (one) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;
- (two) the manner of election or appointment and the term of officers or the members of the bodies in section(2) including the continuance in the office of the first members, and filling of the vacancies of members and all other matters relating to those bodies;
- (three) emoluments and other terms and conditions of service of Kulpati, his powers and duties;
- (four) the term of office, conditions of Service and emoluments of Kuladhi Sachiv and his powers and duties;
- (five) powers and duties of Registrar and other officers and employees of the University and the conditions of their service;
- (six) to make provision for pension, provident fund, establishment of insurance scheme, gratuity and other benefits for the employees of the University;
- (seven) holding of convocation to confer degrees;
- (eight) conferment of honorary degrees;
- (nine) withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (ten) establishment and abolition of faculties, hostels, teaching departments, schools of studies, Colleges and Polytechnics maintained by the University;

- (eleven) conditions under which Colleges may be admitted to the privileges of the University and withdrawal of such privileges;
- (twelve) extent of the autonomy which the teaching departments of the University, school of studies or Colleges or Polytechnics may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;
- (thirteen) qualifications of Professors, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated Colleges and recognised institutions;
- (fourteen) administration of endowments, and the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;
- (fifteen) emoluments and terms and conditions of service for the benefits of officers and teachers of the university payable from the university fund;
- (sixteen) mode of determining seniority for the purpose of this Act;
- (seventeen) maintenance of a register of registered graduates;
- (eighteen) establishment and constitution of Bureau for publications, and;
- (nineteen) all other matters which, by this Act, are to be provided for by Statute;

Statute how made

37.

- (1) The first Statute with regard to matters set out in Section 36 shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
- (2) The Executive Council may, from time to time make new or additional Statute and may amend or repeal the Statute in the manner hereinafter provided;
- (3) The Academic Council may propose to the Executive Council the draft of any new Statute or amendment of any existing Statute to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting;

Provided the Academic Council shall not propose the draft of any Statute or of any amendment of a Statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

- (4) The Executive council may approve any such draft as is referred to in sub-section (3) and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, or suggest any amendment.
- (5) Any member of the Executive Council may propose to the Executive Council the draft of any new Statute or amendment to existing statute and the Executive Council may either accept or reject the proposal if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Coun-

cil. In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration to the Academic Council which may either report to the Executive Council that it does not approve the proposal, which shall then be deemed to have been rejected by the Executive Council or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the provisions of this section shall apply in the case of draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Executive Council by the Academic Council.

(6) No new statute shall be introduced or any addition or amendment or repeal of existing statute shall be made without the prior approval of the Kuladhipati.

## Ordinance

38. Subject to the provisions of this Act and the Statute, Ordinance may provide for all or any of the following matters;
- (one) admission of students to colleges, teaching departments, schools of studies, polytechnics and laboratories and levy of fees and their enrolment;
  - (two) degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University, and the qualifications for the same;
  - (three) examination leading to the degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (four) fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;
  - (five) laying down conditions for appearing in examinations for degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
  - (six) conduct of examination;
  - (seven) condition of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medal and prizes, bursaries etc;
  - (eight) maintenance of discipline amongst the students of the University;
  - (nine) accommodation for the hostels and teaching departments;
  - (ten) recognition and inspection of hostels;
  - (eleven) special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing for them special courses of study;
  - (twelve) giving of moral instructions;
  - (thirteen) management of colleges, polytechnics and other institutions founded or maintained by the University;
  - (fourteen) supervision and inspection of ladies & polytechnics and other institutions admitted to the privileges of the University;
  - (fifteen) duties, qualifications and conditions of appointment including pay scales

of teachers of the University payable by the University;

(sixteen) duties and powers of the Board and Committee to be constituted by the University jointly with any other University or body;

(seventeen) rules to be observed and enforced by affiliated colleges, polytechnics and recognised institutions in respect of transfer of students;

(eighteen) register of the students to be kept by affiliated colleges, polytechnics and recognised institutions;

(nineteen) mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;

(twenty) rates of travelling allowance and daily allowance admissible to the members of the authorities, committees and other bodies of the University, the examiners, the officers and staff of the university;

(twentyone) constitution of students bodies and their mode of election; and

(twentytwo) all other matters which, by this Act or the Statute or Ordinance may be provided.

Ordinance how made

39.

(1) All Ordinance except the first Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the date of its approval by the Kuladhipati.

Procedure regarding Ordinance

40.

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section-39, no ordinance shall be made by the Executive Council -

(one) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognised as equivalence to the University Examinations of the further qualifications mentioned in sub-section (1) of Section 42 or admission to the degree or diploma courses of the University unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(two) affecting conditions and duties of examiners and that of conduct or standard of examinations except in accordance with a proposal of the faculty or faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(three) affecting the qualifications and emoluments of teachers of the University payable from the University fund, unless a draft has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council shall not have powers to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) but may reject the proposal or return the draft to the Academic council, for

reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(3) After any draft returned under sub-section (2) has been further considered by the Academic Council together with any amendment suggested by the Executive Council it shall be again presented to the Executive Council with a report of the Academic Council thereon and the Executive Council may then deal with the draft in such manner as it may think fit.

(4) Where the Executive Council has rejected the draft of an ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Kuladhipati and the Kuladhipati may direct that such ordinance shall have effect from such date as may be specified in the direction.

Regulation

41. (1) The authorities, committees and other bodies of University constituted by or under this Act may make Regulation, subject to the provisions of this Act, the Statute and Ordinance.

(one) laying down the procedure for the meetings and the number of members required to form a quorum;

Provided that until Regulation providing for quorum are made, the quorum to constitute a meeting of any authority, committee or other body of the University shall be the number forming the majority of the members constituting such authority, committee or other body of the University, for the time being;

(two) providing for all matters which, by this Act, the statute or the Ordinance, are to be prescribed by Regulation; and

(three) providing for all other matters solely concerning such authority, or other body or the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statute or Ordinance.

(2) Every authority, committee and body of the University shall make Regulation providing for issue of notice to the members of such authority, committee or body for the date of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping the minutes of the meeting;

Provided that any authority, committee or body of the University which is not satisfied with any modification or annulment may appeal to the Kuladhipati whose decision in this matter shall be final.

## CHAPTER - 7

### ADMISSION AND REGISTRATION

Admission to  
University Courses

42. (1) Students shall not be eligible for admission to course of study for a degree or diploma unless they have passed higher secondary examination or 10<sup>th</sup> examination respectively held under the Chhattisgarh Shiksha Adhiniyam, 1965 (no. 23 of 1965), or an examination recognised in accordance

- with the provisions of this section as an equivalent thereto and posses such further qualifications as may be prescribed by the Ordinance.
- (2) The University may with the previous sanction of the State Government recognise for the purposes of admission to a course of study for a degree or diploma as equivalent to its own degree or diploma, and any degree or diploma conferred by any other University or Board or as equivalent to the higher secondary examination held under the Chhattisgarh Shiksha Adhiniyam, 1965 (no. 23 of 1965).
- (3) No student shall be admitted to a course of study leading upto a degree unless he is enrolled as a student in a College, Polytechnic Teaching, Department or School of Study.
- Registered graduates or diploma holders 43. Only graduates or diploma holders of the University shall be on payment of such fees as may be prescribed by the statute to be entitled to have their names enrolled in the register of registered graduates or diploma holders to be maintained in such form as may be prescribed by the statute.

## CHAPTER - 8

### INSPECTION AND QUALITY CONTROL

- Inspection of College and Polytechnic 44. (1) Every college or polytechnic shall furnish such reports, returns and other information as the Executive Council, after obtaining the opinion of the Academic Council, may require to enable it to judge the efficiency of the institution.
- (2) The Executive Council shall cause such institution to be inspected from time to time by one or more persons authorised by the Executive Council in this behalf.
- (3) The Executive Council may call upon any such college or institution so inspected to take within a specified period, such action as may appear to it to be necessary.
- Appointment of Examiners and Moderators 45. (1) Subject to the provisions of the Statute, all examiners and Moderators of examinations shall be appointed by Kulpati, in consultation with the Committee consisting of the following members :-
- (one) Dean of the Faculty concerned who shall be the Chairman of the Committee;
- (two) Chairman of the Board of Studies concerned;
- (three) a member of the concerned Board of Studies to be nominated by Kulpati.
- (2) If, during the course of an examination, an examiner becomes incapable of acting as such for that course, Kulpati shall appoint another examiner for such course.

**CHAPTER -9**  
**APPOINTMENT TO TEACHING POSTS AND SERVICE CONDITIONS**

Appointment of  
teaching posts

46. (1) No person shall be appointed –
- (i) as Professor, Reader, or Lecturer; or
  - (ii) to any other teaching post of the University whose salary is payable from the University fund except on the recommendation of a selection committee constituted in accordance with sub-section(2)

Provided that if appointment to any of the teaching posts aforesaid is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the department and institution of the University, the Executive Council may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee constituted under sub-section (2) but the person so appointed, shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the University except on the recommendation of the said committee.

- (2) Kulpati shall constitute a selection committee consisting of the following members :-

- |   |          |
|---|----------|
| (one) Kulpati;  | Chairman |
| (two) one expert to be nominated by the Kuladhipati from a panel of three experts in the subject not connected with the University in any manner; | Member   |
| (three) three subject experts not connected with the University in any manner to be nominated by the Kuladhipati;                                 | Member   |
| (four) Secretary Technical Education or his nominee not below the rank of Joint Secretary.  | Member   |

- (3) Three members of the selection committee shall form the quorum.

Provided that no recommendation shall be made, unless at least two experts nominated under clause (two) and (three) of subsection-2 are present.

- (4) The committee shall examine the merits of various candidates and recommend to the Executive Council the names of suitable persons for the post arranged in order of merit.

		(5)	Out of the names so recommended under sub-section (4) the Executive Council shall appoint persons in order of merit.
Salaries to the teachers payable by University	47.		The salaries to the teachers of the University shall be payable by the University in accordance with scales fixed by the Executive Council by an Ordinance with the prior approval of the State Government.
Filling of casual vacancies	48.		Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies of the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the University shall be filled, as soon as possible for remaining unexpired period in accordance with the procedure.
Service conditions	49.	(1)	Every salaried officer and teacher of the University paid by the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer and teacher concerned.
		(2)	Any dispute regarding service matters arising out of contract or otherwise between the University and any of its salaried employees shall be adjudicated upon by Kulpati and an appeal against Kulpati's decision shall lie to the Kuladhipati, if preferred within thirty days from the date of decision who shall decide the dispute himself or refer it to tribunal constituted by him consisting of the following members, namely :- (one) Kulpati of any University of Chhattisgarh; Member (two) any Secretary to the State Government, and; Member (three) any Principal of the engineering college of the State. Member
Pension and provident fund	50.	(1)	The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the State Government from time to time for similar officers, teachers, clerical staff and other employees, such pension, insurance and provident fund as it may deem fit. but a person employed after his retirement (working in any post) shall not be entitled for any benefits under this section.
Approval for imparting instruction	51.		No person shall impart instruction in the University or any College— (a) unless such person possesses the qualifications laid down by the Academic Council in this behalf; and (b) except in such subject or subjects and upto the standard for which his qualifications have been approved by the Academic Council.
Classification of teachers	52.	(1)	Professor, Reader and Lecturer and Head of the Department in Colleges fulfilling the academic and other qualifications and conditions of experience laid down by the All India Council for Technical Education (AICTE) and drawing pay in the AICTE pay scales or approved by the State Government shall be recognised as Professor, Reader, Head of the Department and Lecturer of the University and Principal of College with

a minimum 15 years teaching experience of degree level in concerned subjects and drawing salary of Principal approved by the State Government shall be recognised as Professor by the University.

- (2) Visiting Professor means a Professor invited by the Executive Council for a short term of not more than 6 months as stipulated in the contract.
- (3) A teacher who is appointed on part time basis in any institution shall not be given recognition by the University.

## CHAPTER -10 EMERGENCY PROVISIONS

State Government  
to assume financial  
control in certain  
circumstances

53. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.
- (2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.
- (3) During the period of the notification issued under sub-section (1) the executive authority of the State Government shall extend to give directions to the said University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to give such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:-
  - (i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;
  - (ii) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;
  - (iii) a provision requiring the submission of every proposal for the revision of pay scale and rate of allowances of the officers, teachers, and other persons employed by the University to the State Government for the sanction;

- (iv) a provision requiring the deduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University,
- (v) a provision requiring the deduction in the number of posts of the officers, teachers and other persons employed by the University;
- (vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rate of allowances, and
- (vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, and administrative expert and a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

- (5) Notwithstanding any thing contained in this Act, it shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.
- (6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary of Man power and Employment be recovered from such officer as an arrears of land revenue.

Provided that no action to recover the amount of loss as arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish explanation and such explanation has been considered by the State Government.

**Powers of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of University in certain circumstances**

- 54. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Sections 12, 13, 22 to 25, 34, 35, 41 and 64 shall as from the date specified in the notification (hereinafter in this Section referred to as the appointed date) apply to the University.
- (2) The Notification issued under sub-section(1) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period of such further period as

it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

- (3) The Kuladhipati shall simultaneously with the issue of the notification, appoint Kulpati under Sections 12 and 13 and Kulpati so appointed shall hold office during the period of operation of the notification.

Provided that Kulpati may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notifications, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

- (4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely :-

(one) Kulpati, holding office immediately before, the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office.

(two) every person holding office as a member of the Executive or the Academic Council, as the case may be immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(three) until the, executive Council or Academic Council, as the case may be is reconstituted in accordance with the provisions as modified, Kulpati appointed under Section 12 and 13 as modified, shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

- (5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, Kulpati shall take steps to constitute Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, as unmodified and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later.

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, Kulpati shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Kuladhipati till the

Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

**Effect on expiration of the period of notification under section 54**

55. On expiration of the period of operation of the notification issued under Section 54, the provisions of this Act, as modified in application to the University mentioned in the notification shall cease to operate in respect thereof and the other relevant provisions of this act shall revive and continue to apply thereto.

Provided that the expiration of the operation of the notification shall not affect :-

- (a) previous operation of or anything done or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or
- (c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

## CHAPTER -11

### SUPPLEMENTARY PROVISIONS

**Dispute as to constitution of University authorities and bodies**

56. If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statute, Ordinance or Regulation or as to whether any person has been duly elected, appointed as or, is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

Provided that before taking any such decision the Kuladhipati himself or an officer nominated by him shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

**Explanation** – In this section the expression –

- (a) “body” includes any committee constituted by or under this Act;
- (b) “appointed” does not include appointments to the salaried posts of the University.

**Constitution of committee**

57. Where any authority of the University is given power by this Act, or the Statute to appoint committee, such committee shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

**Proceedings of University and bodies not invalidated by vacancies**

58. No act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason of –
- (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof;

		(b)	any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
		(c)	any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.
Protection of action taken in good faith	59.		No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done by him under this Act, or the Statute or Ordinance or Regulation.
Terms of office of members of Authority of University	60.	(1)	Wherever in accordance with this Act, any person is to hold an office or to be a member of any authority, by rotation according to seniority, such seniority in the absence of any provisions to the contrary in the Act, shall be determined in accordance with the statute.  Provided that, till the statute are made, the seniority in particular cadre shall be determined by the length of continuous service in such a cadre and where the length of continuous service of two or more persons in the same cadre is the same, then "Seniority" shall be determined by seniority in age.
		(2)	Wherever any person becomes a member of any authority by virtue of the post or office held by him or by virtue of possessing a specified qualification, he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such post or office or if he ceases to possess such qualifications before the expiry of the term of his membership  Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his post or office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.
Resignation of member or officer of University	61.	(1)	Any member other than an ex-officio member of the Executive Council, the Academic Council, or any other University Authority or Committee or Dean of a Faculty may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.
		(2)	Any officer of the University, whether salaried or otherwise, other than a Dean may resign his office by a letter addressed to the Registrar. Such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the Authority competent to fill the vacancy.
Disqualification for being member of authority	62.	(1)	A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of any of the authorities of the University –  (a) if he is of unsound mind; or (b) if he is deaf, mute or suffering from any contagious disease; or (c) if he is an undischarged insolvent; or (d) if he has been convicted by a Court of Law of an offence involving moral turpitude and sentence in respect thereof to imprisonment for not less than six months;

- (2) If any question arises as to whether a person is, has been subject to any of the disqualification mentioned in subsection (1) the question shall be referred for the decision of the Kuladhipati and his decision there on shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decisions.
- Power to remove from register of graduates or diploma holders or any authority or body of University** 63. (1) The Kuladhipati may, on the request of the Executive Council, remove the name of any person from the register of graduates or diploma holders or the name of any person from membership of any authority or body of the University, if-
- (i) he is guilty of gross misconduct; and
  - (ii) he acts prejudicial to the interest of the University.
- Provided that the Kuladhipati shall cause a preliminary enquiry to be made and if he is satisfied that prima facie case exists, he shall serve on such person charge-sheet, in writing, stating the misbehaviour or the act prejudicial to the interest of the University, as the case may be.
- (2) After taking into consideration the reply to the charge sheet submitted by such person or member under sub-section (1), the Kuladhipati may, if he considers that further action is necessary, entrust the enquiry to a tribunal consisting of a nominee of the Kuladhipati, a nominee of the Executive Council and nominee of the such person or a member,
- (3) The Tribunal shall after giving such person or a member an opportunity of being heard and examining such evidence as may be necessary, record its findings and forward it to the Kuladhipati; and
- (4) The Kuladhipati may, after considering the report of the Tribunal pass such orders as he considers necessary.
- Provided that no order shall be passed unless such person or a member has been given a reasonable opportunity to show cause as to why the proposed action should not be taken against him.
- Removal of difficulties** 64. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the University after commencement of the Act, or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, as occasion may require, may by order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगर भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 174-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 सितम्बर 2006—भाद्र 11, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

क्रमांक 11223/293/21-स/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-8-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जागृकी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, टप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 27 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन)  
अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य-पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- परिभाषा. 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (एक) "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004).
- धारा-15 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-15 में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जावे.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

क्रमांक 11223/293/21-अ/प्रारूपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 27 of 2006)

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY  
(AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004):

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

- |    |  |  |                                       |
|----|--|--|---------------------------------------|
| 1. | (1)  | This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2006. | Short title, extent and Commencement. |
|    | (2)  | It extends to the whole State of Chhattisgarh.   |                                       |
|    | (3)  | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.                   |                                       |
| 2. | In this Act, unless the context otherwise requires,—   |  | Definition.                           |
|    | "Principal Act" means Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004). |  |                                       |
| 3. | In Section 15 of the Principal Act, for the word "two" the word "five" shall be substituted.         |  | Amendment of Section 15.              |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्र. छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 2009—श्रावण 29, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5690/152/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2009)

### छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2009

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 25 सन् 2004 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2009 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004)."

धारा 15 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जावे, अर्थात् :—  
"परन्तु यह और कि, इस धारा के अधीन ऐसा नियुक्त कुलपति 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा."

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 5690/152/21-अ/प्र./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 7 सन् 2009 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 7 of 2009)

**THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY  
(AMENDMENT) ACT, 2009**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows :—

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2009.  | Short title, Extent and Commencement. |
|    | (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.  |                                       |
|    | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.  |                                       |
| 2. | In this Act, unless the context otherwise requires,—<br>“Principal Act” means the “Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004).”  | Definition.                           |
| 3. | In Section-15 of the Principal Act, after the first proviso, the following proviso shall be added namely :—<br>“Provided further that the Kulpati so appointed under this section shall not hold office after attaining the age of 70 (Seventy) years.” | Amendment of Section -15.             |



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468 |

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014 — भाद्र 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7422/डी. 144/21-अ/प्रान्त./छ. ग. /14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन)  
अधिनियम, 2014छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004)  
में और संशोधन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार  
तथा प्रारंभ.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में -

“(एक) खण्ड (चाँदह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(चाँदह) “कुलाधिपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और उसे चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;”

(दो) खण्ड (चाँदह) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(चाँदह-क) “कुलाधिसचिव” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, और उसे रेक्टर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;

(तीन) खण्ड (पंद्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(पंद्रह) “कुलपति” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति, और उसे वाइस चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;”

(चार) खण्ड (बीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(बीस-क) “कुलसचिव” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव, और उसे रजिस्ट्रार के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;”

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(6) कुलपति की मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रुग्णता या अन्य कारण से, पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिपति-

(क) राज्य के निजी विश्वविद्यालय से भिन्न, किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, या

(ख) राज्य सरकार से सलाह के उपरांत, राज्य सरकार के किसी अधिकारी,

की कुलपति के रूप में, ऐसी तारीख तक कार्य करने के लिए नामित कर सकेंगा, जब तक कि धारा 12 की उप-धारा (1) या उप-धारा (7), यथास्थिति, के अधीन नियुक्त कुलपति पद ग्रहण न कर ले।

परन्तु यह कि इस उप-धारा में अनुध्यान की गयी व्यवस्था, छह माह से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगी।"

4. मूल अधिनियम की धारा 17 खिलोपित की जाये

धारा 17 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रांतस्थापित किया जाये, अधीन -

धारा 18 का संशोधन

(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक, वैतनिक अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा वह कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् तथा शैक्षणिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) कुलसचिव की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिकांशित की जायें।

परन्तु यह कि राज्य सरकार उच्चतर अर्हताओं को अंगीकार करने का निर्णय ले सकती है।

(3) कुलसचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि वह दूसरी पदावधि, जो तीन वर्ष से अधिक की न हो, के लिए पात्र होगा।

(4) राज्य सरकार, कुलाधिपति के अनुमोदन से, अपेक्षित योग्यता वाले-

(एक.) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, या

(दो.) निजी विश्वविद्यालय से भिन्न विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने गये निजी संस्थाओं से भिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान,

के किसी भी संवर्ग या पद के व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेंगी।

(5) कुलसचिव संस्था के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधि और संपत्ति का अभिरक्षक होगा और अधिनियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, उसे इनके समुचित अभिरक्षण, संधारण और संचालन को सुनिश्चित करने की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(6) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कि, इस अधिनियम, इसके अधीन निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन या कार्य परिषद् द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(7) कुलसचिव, कुलाधिपति या राज्य सरकार द्वारा मंगायी गयी सूचना या दस्तावेज, उनके द्वारा अपेक्षित रीति से, उपलब्ध करावेगा।"

धारा 22 का संशोधन. 6

मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

" 22.(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) राज्य सरकार से परामर्श के उपरान्त कुलाधिपति द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से नामित तीन ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, जो सदस्य होंगे ;

परंतु यह कि इन शिक्षाविदों में से कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से होगा ;

(छ) विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित विधान सभा का एक सदस्य, जो सदस्य होगा ;

(सात) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(आठ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरान्त कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक, जो सदस्य होगा ; और

(नौ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

(3) परिषद्, तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी.

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसका एजेन्डा सदस्यों के मध्य, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा ;

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा विदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेन्डा की टिप्पणियाँ, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएगी ;

परंतु यह और कि एजेन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, उन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जा सकेगा.

- (5) कुलपति, कभी भी, आपात बँटक बुला सकेगा, परंतु उसमें ऐसा कोई कार्य संबन्धित नहीं किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बँटक की सूचना और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित बँटक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किये जाएंगे :

परंतु यह और कि जहाँ स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अन्यत्र सूचना पर आपात बँटक बुला सकेगा और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अविलंब परिचालित किया जायेगा।

- (6) परिषद् के छ. सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी।

- (7) बँटक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा।

धारा 23 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 23 के खंड (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(चार) शैक्षणिक परिषद् की अनुसूचीओं पर और इस अधिनियम एवं परिनिर्णयों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इन विशेषाधिकारों में से किसी को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किन्हीं विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहित करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, उन्हें प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो।”

8. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) में :-

धारा 24 का संशोधन.

(एक) खंड (चार) में, शब्द “तकनीकी शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव” के स्थान पर, शब्द “तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या विभाग से उसका प्रतिनिधि” प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खंड (पांच) में, शब्द “वित्त विभाग का भारसाधक सचिव” के स्थान पर, शब्द “वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव, या विभाग से उसका प्रतिनिधि” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25 का संशोधन.

“मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“25. (1) शैक्षणिक परिषद्, विश्वविद्यालय की अकादमिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों का निदेशक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शान्त्वकीथ इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और शान्त्वकीथ पॉलिटेक्निकों में शिक्षकों के संघर्ष से, राज्य सरकार से परामर्श के, उपरोक्त कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(छ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों के कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(सात) राज्य सरकार से परामर्श के उपरोक्त कुलाधिपति द्वारा नामित राजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त संचालक, से अनिम्न स्तर का अधिकारी, जो सदस्य होगा ; और

(आठ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) परिषद् के सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे,

(3) परिषद्, तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी,

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसके एजेन्डा सदस्यों के मध्य बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा ;

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेन्डा की टिप्पणियों, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएंगी ;

परंतु यह और कि एजेन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम

(5) कुलपति, कभी भी, आपात बैठक बुला सकेगा, परंतु इसमें ऐसा कोई कार्य संव्यवह नही किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बैठक की सूचना और उसके लिये एजेन्डा, एजेन्डा की टिप्पणियों सहित बैठक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा ;

परंतु यह और कि जहां स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अल्पतर सूचना पर आपात बैठक बुला सकेगा और उसके लिये एजेन्डा, एजेन्डा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अतिरिक्त परिचालित किया जाएगा ;

(6) परिषद् के छः सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी,

(7) बैठक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा ;

10. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, धारा 26 का संशोधन, अर्थात् :-

“(पांच) इस अधिनियम एवं परिणयमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इनमें से किसी विशेषाधिकार को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किसी विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहण करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो ;”

11. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- नई धारा 65 एवं 66 का परिवर्धन (जोड़ा जाना).

“65. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अधधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.”

66. परिणियम, अध्यादेश एवं नियम का राजपत्र में प्रकाशन किया जाना तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक परिणियम, अध्यादेश एवं नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर, जब वह सत्र में कुल तीस दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि उस सत्र जिसमें इसे पटल पर रखा गया है अथवा उसके ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन यदि परिणियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, में किसी प्रकार के उपान्तरण की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि परिणियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, नहीं बनाया जाना चाहिए तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा परिणियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस परिणियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.”

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7422/डी 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 17 of 2014)

THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY  
(AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent  
and commencement.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014.
- (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment  
Section 2.

of 2. In Section 2 of the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004), (hereinafter referred to as the Principal Act)-

- (i) For clause (fourteen), the following shall be substituted, namely :-  
“(fourteen) “Kuladhipati” means the Kuladhipati of the University and he may be referred to as the Chancellor.”
- (ii) After clause (fourteen), the following shall be inserted, namely :-  
“(fourteen-a) “Kuladhisachiv” means the Kuladhisachiv of the University and he may be referred to as the Rector.”
- (iii) For clause (fifteen), the following shall be substituted, namely :-  
“(fifteen) “Kulpati” means the Kulpati of the University and he may be referred to as the Vice-Chancellor.”
- (iv) After clause (twenty), the following shall be inserted, namely :-  
“(twenty-a) “Registrar” means the Registrar of the University and he may be referred to as the Kulsachiv.”

Amendment  
Section 13.

of 3. For sub-section (6) of Section 13 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

- “(6) In the event of occurrence of any vacancy, including a temporary vacancy, in the office of Kulpati, by reason of death, resignation, leave, illness or otherwise, Kuladhipati may nominate-
- (a) Vice-Chancellor of any other University of the State, other than a Private University, or
- (b) After consultation with the State Government, an officer of the State Government,

to act as the Kulpati, till the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 12, as the case may be, enters the office :

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months."

4. Section 17 of the Principal Act shall be omitted. Amendment of Section 17.

5. For Section 18 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 18.

"18. (1) The Registrar shall be a whole-time, salaried officer of the University and, subject to the general superintendence and control of Kulpati, shall discharge his duties and shall also act as the Secretary to the Executive Council, Academic Council, and Academic Planning and Evaluation Board.

(2) The qualifications of the Registrar shall be such as may be laid down by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, from time to time :

Provided that the State Government may decide to adopt higher qualifications.

(3) A person appointed as Registrar shall have a term not exceeding three years :

Provided that he shall be eligible for a second term not exceeding three years.

(4) The State Government, with the approval of Kuladhipati, may appoint on deputation as the Registrar, a person having the requisite qualifications, from any cadre or post of-

(i) the Central Government or any State Government or Union Territory, or

(ii) University other than a private university, an institution of higher education other than a private institution, deemed to be a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956), or an institution declared to be of national importance by the Parliament by law.

(5) The Registrar shall be the custodian of records, the common seal, the funds and the property of the Institute and subject to the provisions of the Act he shall have all the powers to ensure the proper custody, maintenance and operation of the same.

(6) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other functions, as may be assigned to him under this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations framed thereunder or by the Executive Council.

(7) The Registrar shall furnish information or records that Kuladhipati or the State Government may call in such manner as they may require."

6. For Section 22 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 22.

"22. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following members, namely :-

(one) Kulpati, who shall be the *ex-officio* Chairperson :

- (two) Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (three) Secretary in-charge of the Department of Finance, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member
- (four) Commissioner or Director in-charge of the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (five) Three eminent educationists from the fields of engineering, technology or vocational education, nominated by Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be Members :

Provided that at least one of these educationists shall be from the field of vocational education ;

- (six) A member of Vidhan Sabha, nominated by the Speaker, who shall be the Member ;
- (seven) Kuladhisachiv, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (eight) A professor, from amongst the colleges or polytechnics admitted to the privileges of the University, to be nominated by Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Member; and

(nine) Registrar, who shall be the *ex-officio* Member-Secretary.

- (2) Members of the Council, other than the *ex-officio* Members, shall hold office for a period of two years.
- (3) The Council shall meet at least once in three months and as may be necessary.
- (4) The notice of the time and place of the meeting of the Council and the agenda therefor shall be circulated among the members, including by email, at least ten days before the date of the meeting :

Provided that the agenda notes containing information and supporting documents, relevant for decision on items on the agenda for the meeting shall be circulated, including by email, at least five days before the meeting :

Provided further that in case there is any difficulty in circulating the agenda notes within the requisite timeframe, the same may be circulated, including by email, with the concurrence of the Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, at least forty-eight hours before the meeting.

- (5) Kulpati may, at any time, call an emergency meeting, but no business that is not of immediate urgency shall be transacted thereat and notice of such meeting and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated, including by email, at least forty-eight hours before the meeting :

Provided that where the situation so demands, Kulpati may call an emergency meeting at a shorter notice, with prior permission of Kuladhipati and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated forthwith, including by email.

- (6) Six members of the Council shall constitute the quorum.
- (7) In a meeting, any member may be present and cast his vote through electronic means."
7. For clause (twelve) of Section 23 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 23.
- "(twelve) To admit Colleges and Polytechnics to privileges of the University, to withdraw any of these privileges, and to takeover the management of any College or Polytechnic, on the recommendations of the Academic Council and subject to the provisions of this Act and Statutes :
- Provided that no such admission to the privileges or withdrawal thereof or taking over shall be considered for establishment of a new College or Polytechnic or addition in any programme or course at the diploma or undergraduate or postgraduate level or increase in the intake thereof, unless the State Government in its discretion has permitted such admission to the privileges, withdrawal thereof, takeover, addition, intake etc.;"
8. In sub-section (1) of Section 24 of the Principal Act, - Amendment of Section 24.
- (i) In clause (four), for the words "Secretary, Department of Technical Education", the words "Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, or his representative from the Department" shall be substituted.
- (ii) In clause (five), for the words "Secretary, Department of Finance", the words "Secretary in-charge of the Finance Department, Government of Chhattisgarh, or his representative from the Department" shall be substituted. Amendment of Section 25.
9. For Section 25 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-
- "25. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall consist of the following members, namely :-
- (one) Kulpati, who shall be the *ex-officio* Chairperson ;
- (two) Kuladhisachiv, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (Three) Commissioner or Director sin-charge of the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (four) Director of the University Teaching Department, who shall be the *ex-officio* Member ;
- (five) Two teachers ~~from amongst~~ the cadre of teachers of Government Engineering Colleges and Government Polytechnics under the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh, to be nominated by the Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Members;
- (six) Two teachers from the Colleges and Poytechnics admitted to the privileges of the University, to be nominated by Kuladhipati, who shall be the Members:

(seven) An officer of the Directorate of Employment and Training, Government of Chhattisgarh, not below the rank of Joint Director, to be nominated by the Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Member; and

(eight) Registrar, who shall be the *ex-officio* Member-Secretary.

- (2) Members of the Council, other than the *ex-officio* Members, shall hold office for a period of two years.
- (3) The Council shall meet at least once in three months and as may be necessary.
- (4) The notice of the time and place of the meeting of the Council and the agenda therefor shall be circulated among the members, including by email, at least ten days before the date of the meeting :

Provided that the agenda notes containing information and supporting documents, relevant for decision on items on the agenda for the meeting shall be circulated, including by email, at least five days before the meeting :

provided further that in case there is any difficulty in circulating the agenda notes within the requisite timeframe, the same may be circulated, including by email, with the concurrence of the Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, at least forty-eight hours before the meeting.

- (5) Kulpati may, at any time, call an emergency meeting, but no business that is not of immediate urgency shall be transacted thereat and notice of such meeting and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated, including by email, at least forty-eight hours before the meeting :

Provided that where the situation so demands, Kulpati may call an emergency meeting at a shorter notice, with prior permission of Kuladhipati and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated forthwith, including by email.

- (6) Six members of the Council shall constitute the quorum.
- (7) In a meeting, any member may be present and cast his vote through electronic means."

Amendment of 10. For clause (five) of sub-section (1) of Section 26 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

- “(five) To admit Colleges and Polytechnics having approval from the All India Council for Technical Education to the privileges of the University, to withdraw any of these privileges, and to takeover the management of any College or Polytechnic, subject to the provisions of this Act and Statutes :

Provided that no such admission to the privileges or withdrawal thereof or taking over shall be considered for establishment of a new College or Polytechnic or addition in any programme or course at the diploma or under graduate or postgraduate level or increase in the intake thereof, unless the State Government in its discretion has permitted such admission to the privileges, withdrawal thereof, takeover, addition, intake etc.:"

11. After Section 64 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

“65. **Power to make Rules.**-The State Government may, subject to the previous publication by notification in the Official Gazette, make Rules to carry out all or any of the purpose of this Act.

66. **Statutes, Ordinance and Rules to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature.**-(1) Every Statute, Ordinance and Rule made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance and Rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification to the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, or the House agrees that the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, should not be made, and notifies such decision in the Official Gazette, the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be :

Provided that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that Statute or Ordinance or the Rule, as the case may be.”



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 — आश्विन 19, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्रमांक 11027/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-09-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 16 सन् 2022)**

**छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022.**

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

धारा 13 का  
संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(2) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगी।”

3. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (आठ), (नौ) एवं (दस) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

धारा 22 का संशोधन.

“(आठ)राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत, कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक, जो सदस्य होगा;

(नौ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी), भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक/सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक (कार्मिक और प्रशासन), जो सदस्य होगा; तथा

(दस) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य सचिव होगा।”

अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्रमांक 11027/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 11-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 16 of 2022)

**THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL  
UNIVERSITY (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2022.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam, 2004 (No. 25 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title, extent and commencement** 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Adhiniyam, 2022.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of 2.  
Section 13.**

For sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam, 2004 (No. 25 of 2004), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier:

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed 6 months.”

3. For clause (eight) and (nine) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, the following clause (eight), (nine) and (ten) shall be substituted, namely:-

**Amendment of  
Section 22.**

“(eight) A professor, from amongst the colleges or polytechnics admitted to the privileges of the University, to be nominated by the Chancellor, after consultation with the State Government, who shall be the Member;

(nine) Ex-officio Director Incharge/C.E.O. and Executive Director (Personnel and Administration) Steel Authority of India Limited (SAIL)/Bhilai Steel Plant (BSP), Bhilai, who shall be the Member; and

(ten) Registrar, who shall be the ex-officio Member-Secretary.”